"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई 2008—आषाढ़ 13, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदेन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक ई-7/34/2004/1/2.—डॉ. दुर्गेश मिश्रा, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 07-07-2008 से 11-07-2008 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 06, 12 एवं 13 जुलाई, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. मिश्रा, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2008

क्रमांक 553/474/2008/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 438-39/236/2008/1-8/स्था., दिनांक 10-04-2008 द्वारा श्री गिरीश कोल्हे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 4-5-2008 से 5-5-2008 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 आदेश दिनांक 10-4-2008 के अनुसार यथावत् होगी.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2008

क्रमांक 557/481/2008/1-8/स्था.—श्रीमती अमृता बेक, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 20-05-2008 से 13-06-2008 तक 25 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अमृता बेक को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अमृता बेक अवकाश पर नहीं जातीं तो उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2008

क्रमांक 563/344/2008/1-8/स्था.—श्री अनुराग लाल, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 30-5-2008 से 30-6-2008 तक 32 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग लाल को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि अनुराग लाल अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2008

क्रमांक 565/490/2008/1-8/स्था.—श्री कौशलेन्द्र सिंह (भावसे), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 2-6-2007 से 7-6-2007 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कौशलेन्द्र सिंह (भावसे), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री कौशलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो, सचिब, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2008

क्रमांक 567/154/2008/1-8/स्था.—श्री आर. पी. देवांगन, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 14-1-2008 से 7-2-2008 तक 25 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. देवांगन को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. देवांगन अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2008

क्रमांक 571/508/2008/1-8/स्था.—श्री एस. एस. कुरूवंशी, लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 12-5-2008 से 16-5-2008 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. कुरूवंशी को लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. कुरूवंशी अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2008

क्रमांक 573/510/2008/1-8/स्था.—श्री अमिताभ शर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 29-5-2008 से 6-6-2008 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ शर्मा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2008

क्रमांक 1114/535/2008/1-8/स्था.—श्रीमती बिबियाना तिर्की, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 2-6-2008 से 13-6-2008 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बिबियाना तिर्की को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बिबियाना तिर्की अवकाश पर नहीं जातीं तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2008

क्रमांक 1117/305/2008/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 5-5-2008 से 16-5-2008 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेजीना टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 12 जून 2008

क्रमांक 627/500/2008/1-8/स्था.—श्री ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य विभाग को दिनांक 20-5-2008 से 26-5-2008 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. टोप्पो को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2008

शुद्धि पत्र

क्रमांक 637/499/2008/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 564-65/490/2008/1-8/स्था., दिनांक 30-5-2008 द्वारा श्री कौशलेन्द्र सिंह (भावसे) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. उक्त आदेश के पैरा-1 में अंकित दिनांक 2-6-2007 से 7-6-2007 के स्थान पर "दिनांक 2-6-2008 से 7-6-2008" पढ़ा जावे.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 आदेश दिनांक 30-5-2008 के अनुसार यथावत् होगी.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक एफ 9-16/2005/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16-09-2005 द्वारा श्री अजय कुमार पाण्डेय (भा. रा. से.), संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, की सेवाएं भारत सरकार से राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष के लिए ली गई थी, जिसकी अवधि दिनांक 03-10-2007 को समाप्त हो चुकी है. इनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 वर्ष (दिनांक 04-10-2007 से 03-10-2009 तक) की वृद्धि की जाती है.

2. इनकी प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी.

3. श्री पाण्डेय की प्रतिनियुक्ति अवधि में दो वर्ष की वृद्धि करने हेतु वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 412/सीएन/21053/बजट 5/वित्त/चार/2008, दिनांक 07-06-2008 द्वारा सहमति प्राप्त कर ली गई है.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक एफ 9-16/2005/1-8.—श्री अजय कुमार पाण्डेय (भा. रा. से.) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भारतीय राजस्व सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान रु. 14300-400-18300/- में आने के फलस्वरूप दिनांक 04-10-2007 से विशेष सचिव पदनामित करते हुए यथावत् पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक एफ 9-21/2005/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08-12-2005 द्वारा श्री विनोद गुप्ता (भा. दू. सं. से.), विशेष सचिव, छ. ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की सेवाएं भारत सरकार से राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष के लिए ली गई थी, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है. इनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 वर्ष (दिनांक 01-04-2008 से 31-03-2010 तक) की वृद्धि की जाती है.

2. इनकी प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी.

3. श्री गुप्ता की प्रतिनियुक्ति अवधि में दो वर्ष की वृद्धि करने हेतु वित्त विभाग के पृ. अं. क्रमांक 353/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 12-06-2008 द्वारा सहमति प्राप्त कर ली गई है.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक 673/408/2008/1-8/स्था.—श्री संजय पिल्ले (भापुसे), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 21-5-2007 से 31-5-2007 तक 11 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजय पिल्ले (भापुसे), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय पिल्ले अवकाश पर नहीं जाते तो, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2008

क्रमांक 677/540/2008/1-8/स्था.—श्री के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 23-5-2008 से 28-5-2008 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. सरोज को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. सरोज अवकाश पर नहीं जाते तो, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक 5811/1768/21-ब/2008.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) पादरी प्रेमलाल विभार, को छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने; और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है.

No. 5811/1768/21-B/2008.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act 1872 (No. 15 of 1872). The State Government are pleased to grant license to the (Minister of Religion) Paster Prem Lal Vibhar, for Raipur District State of Chhattisgarh :-

1. To Solemnize Marriage; and
2. To grant Certificate of Marriages between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2008

क्रमांक एफ 1-148/राजस्व/राहत/2008.—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 53 सन् 2005) की धारा 25 सहपठित धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम 3 के सरल क्रमांक (5) की प्रविष्टियों का लोप किया जाये.

No. F 1-148/Revenue/Relief/2008.—In exercise of the powers conferred by Section 78 read with section 25 of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005), the State Government hereby makes following amendment in the Chhattisgarh State Disaster Management Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

The entries against serial No. (5) of Rules 3 shall be omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जून 2008

क्रमांक एफ 11-9/2003/11/6.—चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है, कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है. अत: राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-9/2003/11/6, दिनांक 19-09-2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

बिन्दु क्रमांक (4) के तीसरी लाईन में "जिला रोजगार कार्यालय से प्राप्त कर" के स्थान पर "संबंधित मुख्य महाप्रबंधक या महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर" स्थापित किया जाय.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2008

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).—छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) क्रमांक 44 सन् 1973 की धारा 4 की उपधारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गयी सारिणी के कालम नं. 2 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को उक्त सारिणी के कालम नं. 4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उसके कालम नं. 3 में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा के द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम/ पद	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धाराएं	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री डी. डी. महंत उप पंजीयक.	(1) धारा 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39. (2) महिला स्व-सहायता समूह, महिला मंडल, नवयुवक मंडल श्रेणी के सभी सम्भागों की समितियों का अधिनियम की धारा 34 के अधीन पंजीयन निरस्तीकरण.	छत्तीसगढ़ राज्य स्तर की संस्था.
2.	श्री अजय चौबे सहायक पंजीयक.	धारा 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	बिलासपुर सम्भाग एवं सरगुजा सम्भाग.
3.	श्री डी. एल. धुर्वे सहायक पंजीयक.	धारा 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	रायपुर सम्भाग
4.	श्री आर. आर. राजभानू सहायक पंजीयक.	धारा 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	बस्तर सम्भाग

इस अधिसूचना के कारण रजिस्ट्रार को अधिनियम, नियमों व शासन आदेशों के अधीन प्राप्त अधिकारों में कोई कमी व परिवर्तन नहीं होगा.

उक्त अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा व प्रशासनिक नियंत्रण भी रजिस्ट्रार का रहेगा.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2008

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).—भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का नं. 9) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए फर्मों के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती है तथा वे उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने-अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे:—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम/पद (2)	अधिकारिता (3)	(राजस्व सम्भाग) (4)
1.	श्री अजय चौबे सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर	बिलासपुर संभाग	बिलासपुर/सरगुजा संभाग
2.	श्री आर. आर. राजभानू सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, रायपुर	बस्तर संभाग	रायपुर/बस्तर संभाग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जून 2008

क्रमांक एफ 5-2/2001/10-2.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-01-2005 को अधिक्रमित करते हुए एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन की धारा 84 (ia) के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के संचालक मंडल का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

1.	मान. श्री समुन्द साय कच्छ	-	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग	-	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग	-	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग	-	सदस्य
5.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर	-	सदस्य
6.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) छत्तीसगढ़ रायपुर	-	सदस्य
7.	मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ. ग. रायपुर	-	सदस्य
8.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भारत सरकार, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश, मुख्यालय भोपाल	-	सदस्य
9.	छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा नामांकित अधिकारी	-	सदस्य
10.	कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	-	सदस्य
11.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	-	प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार भट्ट, विशेष सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2008

क्रमांक-3-2/दो/(तीन-जेल) 08.—कारागार अधिनियम, 1894 (क्र. 9 सन् 1894) की धारा 59 के खण्ड (15) तथा (27) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जेल नियमावली, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 814 के उप नियम (1) में शब्द "पुलिस उप महानिरीक्षक" के पश्चात् शब्द "पुलिस अधीक्षक" अंत:स्थापित किया जावे.

No. F-3-2/2 (3-Jail) 08.—In exercise of the powers conferred by Clause (15) and (27) of Section 59 of the Prisons Act, 1894 (No. IX of 1894), the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Prisons Rules, 1968, namely ;—

AMENDMENT

In the said rules :—

In sub-rule (1) of rule 814, after words "Deputy Inspector General of Police" the words "Superintendent of Police" shall be inserted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. ठाकुर, अवर सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 12 जून 2008

क्रमांक/क/वा./भू. आ./प्र. क्र./16/अ 82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा वर्गफुट में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	मोवा प. ह. नं. 109	92/8, 101/12	110	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) रायपुर संभाग, रायपुर.	मोवा क्रासिंग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु.
			92/7, 101/11	110		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			91/4, 92/4, 98/3, 99/3, 101/6	504		
			94/6, 101/16	470		
			94/8, 101/22	447		
			99/4, 100/1, 101/10	1220		
			91/18, 92/13, 93/4, 97/5, 98/7, 99/10, 101/23	1495		
			92/2, 101/2	885		
			381/1, 381/2, 381/3	99		
			387/6, 394/8, 395/8	96		
			387/5, 394/7, 395/7	129		
		योग	11	5565		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक/649/ले. पा./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	भेड़नी प. ह. नं. 10	0.41	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ/स) बेमेतरा संभाग, बेमेतरा.	भेड़नी सलधा मार्ग में भू-अर्जन बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 जून 2008

क्रमांक 13/भू-अर्जन/08.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	औराईकला प.ह.नं. 38	27.176	कार्यपालन अभियन्ता (सिविल), भू-अर्जन छ. ग. राज्य विद्युत मंडल, कोरबा (पूर्व).	2×500 मेगावाट मड़वा ताप विद्युत गृह निर्माण के अन्तर्गत राखड़ बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 6 जून 2008

प्र. क्र. 6/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	खारा प. ह. नं.- 46	2.040	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	खारा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर/नाली निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 जून 2008

प्र. क्र. 7/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	भेलवाटोला प. ह. नं.- 47	1.869	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	खम्हरिया जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 जून 2008

प्र. क्र. 8/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	गीधनखार प. ह. नं.- 47	22.904	कार्यपालन अभियंता, जल-संसाधन संभाग, कवर्धा.	लोहारी डीह जलाशय के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 जून 2008

प्र. क्र. 9/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजम का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	अमेरा प. ह. नं.- 03	0.198	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	अमेरा एनीकट के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 जून 2008

प्र. क्र. 10/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	सीली प. ह. नं.- 03	0.190	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	अमेरा एनीकट के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 29 मई 2008

रा. प्र. क्र./01/अ-82 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजगंज	इन्द्रावतीपुर	0.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छ. ग.	सनावल जलाशय के बांध में डूबे क्षेत्र निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 29 मई 2008

रा. प्र. क्र./02/अ-82 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजगंज	कामेश्वरनगर	0.59	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छ. ग.	सनावल जलाशय के बांध में डूबे क्षेत्र निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 29 मई 2008

रा. प्र. क्र./03/अ-82 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजगंज	सनावल	6.77	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छ. ग.	सनावल जलाशय के बांध में डूबे क्षेत्र एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 29 मई 2008

रा. प्र. क्र./05/अ-82 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजगंज	आनन्दपुर	6.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छ. ग.	आनन्दपुर जलाशय के बांध में डूबे क्षेत्र एवं स्पील निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 जून 2008

रा. प्र. क्र./03 अ-82 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गयें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजगंज	कामेश्वरनगर	27.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छ. ग.	कामेश्वरनगर जलाशय के बांध में डूबे क्षेत्र एवं स्पील निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 12 जून 2008

क्रमांक/75/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो [illegible] कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की [illegible] (2) में उल्ले[illegible] सार्वजनिक प्रयोजन [illegible] अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक [illegible] धारा 6 के अन्तर्गत इसके [illegible] यह घोषित किया [illegible] भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पखान्जूर
- (ग) नगर/ग्राम-अवधपुर पी. व्ही. 133
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.19 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74	0.02
77/1	0.08
77/2	0.08
78	0.08
79	0.23
112	0.16
80	0.37
81	0.47
82	0.19
84	0.34
114/1	0.10
83	0.46
85	0.31
86	0.40
88	0.31
111	0.46
89	0.38

(1)	(2)
90	0.44
94	0.48
96	0.41
95	0.16
104	0.32
100	0.17
108	0.29
110	0.48
योग	7.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लघु सिंचाई केनाल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पखान्जूर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 14 दिसम्बर 2007

प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

(ख) तहसील-पण्डरिया

(ग) नगर/ग्राम-मड़मड़ा, प. ह. नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
201	0.065
203/2	0.113
203/5	0.105
203/3	0.020
204	0.028
205/2	0.020
205/3	0.101
207/1 च, 240/2	0.097
207/1 छ, 240/1	0.154
236, 239	0.142
253/3	0.138
252	0.105
263/1	0.077
263/2	0.113
264/2	0.028
266	0.024
267/2	0.028
268/5	0.032
269/3	0.057
270/7	0.061
267/3	0.012
270/1	0.053
271/1	0.040
271/2	0.077
275	0.142
326	0.061
328/1	0.065
328/2	0.077
414/1	0.174
414/2	0.113
413/2	0.008
415/1	0.097
415/4, 415/5	0.105
415/7	0.117
417	0.093
418/1	0.061
418/2	0.032
409/18	0.040
408/3, 409/2	0.215
382/1	0.012
387	0.089
388	0.190
203/2	0.093
204	0.045
198	0.073

(1)	(2)
197, 207/1 ख	0.024
196/2	0.105
195	0.024
207/1 क	0.239
207/2 ट	0.061
242/1	0.081
207/1 ब, 240/6	0.158
242/3	0.093
241/1	0.040
207/1 फ, 240/1	0.097
242/2	0.093
207/1 प	0.113
207/1 य	0.130
207/1 घ	0.045
244/3	0.040
289	0.040
316/1	0.097
316/12	0.146
316/13	0.130
315/20	0.028
315/6, 316/3	0.138
315/11, 316/5	0.061
315/7, 316/4	0.154
315/10, 389/3	0.049
315/8, 389/1	0.113
315/14, 389/4	0.028
491/3	0.117
490/2	0.040
491/4	0.065
492	0.182
202	0.032
181/3	0.085
179/1	0.012
179/2, 180/1	0.073
180/5	0.146
180/2	0.040
180/3	0.020
181/5	0.016
181/6	0.036
176, 177	0.016
354/1	0.004
354/2	0.065
157/4	0.012
175/3	0.081
173/1	0.057
157/2	0.134
173/3	0.061
175/2	0.024
354/3	0.008
172	0.036
157/1	0.093
151/1	0.032
153	0.016
151/2	0.020
152/1	0.024
152/2	0.032
377	0.065
150	0.008
147/1	0.020
147/2	0.036
353/1	0.040
147/3	0.020
148/1	0.061
353/5	0.008
354/4	0.057
365/1	0.020
365/3	0.069
375/2	0.069
364/2	0.053
374/1	0.036
376	0.085
योग 116	8.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 मई 2008

क्रमांक क/भू-अर्जन/2008/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-मड़वा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.42 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
197/2	0.01
256	0.12
200/1	0.05
201/2	0.04
257	0.11
203/2	0.04
247	0.18
204/1	0.14
743	0.03
205	0.18
323	0.01
248	0.15
249/1	0.15
258	0.23
265	0.07
260/2	0.01
261/1	0.15
266, 267	0.09
273/2	0.01
272 1, 2	0.08
273/1	0.08
277/1, 2	0.06
273/3	0.16
278	0.11
279/1	0.08
279/2	0.08
योग 26	2.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मड़वा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुकुमार चांद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 29 मई 2008

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम-इन्द्रावतीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	826	0.45
योग	1	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सनावल जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र, स्पील निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 29 मई 2008

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम-कामेश्वरनगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.59 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1674	0.59
योग	1	0.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सनावल जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र, स्पील निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 29 मई 2008

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम-सनावल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.77 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1370	0.66
	1372	2.02
	1373	1.10
	1387	0.99
	1388	2.00
योग	5	6.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सनावल जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र, स्पील निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 29 मई 2008

रा. प्र. क्र./05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम-आनन्दपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.12 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	292	0.20
	289/2	0.01
	250	0.30
	252	0.03
	259/3	0.26
	291	0.68
	290	0.51
	259/5	0.25
	254	0.45
	259/1	0.26
	259/4	0.25
	293	0.34
	255	0.29
	265	0.92
	259/2	0.26
	256	1.11
योग	16	6.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आनन्दपुर जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र, स्पील निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 जून 2008

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम-कामेश्वरनगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-27.00 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1457	0.97
1458/1	0.27
1458/2	0.81
1459/1	0.17
1459/2	0.51
1460	0.74
1461	0.20
1462	0.27
1463	0.61
1464/1	0.40
1464/2	0.41
1480	0.40
1481/1	0.60
1481/2	0.60
1481/3	0.40
1483	1.10
1484	0.70
1501	0.02
1502	0.19
1503	0.19
1505	0.48
1519	0.97
1521	1.92
1523	0.35
1527	0.56
1529	0.43
1531/1	1.35
1531/2	0.93
1532	0.11
1533	0.31
1534	0.04
1535	0.55
1536/1	0.93
1536/2	0.94
1538/1	0.60
1539	0.75

	(1)	(2)
	1540	3.18
	1541	0.64
	1542	0.51
	1543	0.65
	1600/1	0.41
	1600/2	0.40
	1464/3	0.43
योग	43	27.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कामेश्वरनगर जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र, स्पील निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 जून 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गनपतपुर, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.374 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	435	0.230
	438	0.144
योग	2	0.374

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ससकोबा-गनपतपुर मार्ग के 8/6 पर मांड नदी पर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जून 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-ससकोबा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.450 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	887, 888, 889, 897/1	0.250
	891	0.030
	892	0.170
योग	3	0.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ससकोबा-गनपतपुर मार्ग के 8/6 कि.मी. पर मांड नदी पर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जून 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-उदउदा, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.421 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	775	0.421
योग		0.421

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धरमजयगढ़-दुर्गापुर-बोरो मार्ग के 3/6 कि.मी. पर मांड सेतु पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जून 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-दुर्गापुर, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.356 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	222	0.073
	225/1	0.028
	226	0.057
	227/2	0.081
	227/3	0.069
	228	0.020
	225/2	0.028
योग	7	0.356

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धरमजयगढ़-दुर्गापुर-बोरो मार्ग के 3/6 कि.मी. पर मांड सेतु पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जून 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुमरता, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.778 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
491/17	0.019
492	0.022
491/2	0.016
422	0.097
423	0.194
494	0.430
योग 6	0.778

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कापू-कुमरता से मेनपाट मार्ग कि.मी. 12/2 पर सांगुल नाला पर पुल निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शां (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जून 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-धरमजयगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बकालो, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.860 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
531	0.214
568	0.081
581	0.028
569	0.218
571/2, 572/2	0.271
546/1,	0.024
669	0.024
योग 7	0.860

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खम्हार-कापू मार्ग के कि.मी. 20/2 पर डोमानाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय (छ. ग.)

जगदलपुर, दिनांक 17 जून 2008

क्रमांक 629/न. ग्रा. नि./08.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि दन्तेवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कार्यालय भवन, (प्रदर्शनी स्थल) दंतेवाड़ा, कार्यालय कलेक्टर, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एवं कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर में दिनांक 25 जून 2008 से कार्यालयीन अवधि

के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दन्तेवाड़ा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

दन्तेवाड़ा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कारली एवं टेकनार की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम टेकनार, बालपेट, भैरमबंद, आवराभाटा, दंतेवाड़ा एवं ग्राम पातररास की पूर्वी सीमा.

दक्षिण में : ग्राम पातररास एवं कुम्हाररास की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कुम्हाररास, डेगलरास, पुरनतराई, चितालंका एवं कारली ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समयावधि के भीतर लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हों, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

Jagdalpur, the 17th June 2008

No. 629/T & CP/2008.—Notice is hereby given that the existing use map for Dantewada Planning Area has been prepared under section 15 sub-section (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 25 June 2008 during officer hours in the office of Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat (Exibitions Venue) Dantewada, office of the Collector, Dakshin Bastar Dantewada and Office of Deputy Director, Town & Country Planning, Jagdalpur. The limit of the Dantewada Planning Area is defind in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Dantewada Planning Area

North : Village Karli & up to Northen limit of Village Teknar.

East : Teknar, Balpet, Bhairamband, Aurabhata, Dantewada & up to the Eastern limit of Village Patarras.

South : Village Patarras and up to the Southern limit of Village Kumharras.

West : Village Kumharras, Dengalras, Purantarai, Chitalanka & up to the Western limit of Village Karli.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Deputy Director, Town & Country Planning, Jagdalpur within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by Director.

पी. सी. रायकवार,
उप संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, सरगुजा (छ. ग.)

सरगुजा, दिनांक 20 जून 2008

क्र./833/परि. अ./2008.—मैं डॉ. रोहित यादव (आई. ए. एस.) कलेक्टर सरगुजा (अम्बिकापुर) छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, नगर पंचायत, लखनपुर के नामांकित पार्षद द्वारा स्वेच्छापूर्वक दिया गया त्याग-पत्र स्वीकार करता हूं. जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित है.

अनुसूची

क्र.	निकाय का नाम	वार्ड क्र.	पार्षद का नाम जिनके द्वारा त्याग-पत्र दिया गया है	वार्ड के आरक्षण की स्थिति (वर्ग)	त्याग-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	त्याग-पत्र प्रस्तुत करने का कारण
1.	नगर पंचायत, लखनपुर	-	श्री मेघनाथ राम	-	20-05-2008	घरेलू पारिवारिक कारणों से.

रोहित यादव,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 16 जून 2008

संशोधित

क्रमांक/1133/भू. अ./स. अ. भू. अ.-2/2008.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला बिलासपुर पटवारी हल्कों का पुनर्गठन के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 1627/भू. अ./स. अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/2007 दिनांक 14 अगस्त 2007 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार तहसील बिल्हा के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूं.

क्रमांक	वर्तमान हल्का बन्दी				प्रस्तावित नवीन हल्का		
	तहसील का नाम	रा. नि. मं. का नाम	प. ह. नं.	ग्राम का नाम	प. ह. नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बिल्हा	बिल्हा	1	चकरभाठा नगपुरा बोदरी	1 बोदरी	नगर पंचा. बोदरी	नगर पंचा. बोदरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. 3.	बिल्हा	बिल्हा	2	पोडी (स.) सिलपहरी हरदीकला	2 चकरभाठा	चकरभाठा नगपुरा	चकरभाठा नगपुरा
4. 5. 6.	--,,--	--,,--	3	खपराखोल नगरौड़ी फदहा बोहरडीह मगरउछला लिमतरी सरवानी सारधा	3 हरदीकला	हरदीकला नगरौड़ी खपराखोल	हरदीकला नगरौड़ी
7. 8.	--,,--	--,,--	4	कया कड़ार धमनी सेंवार	4 पोड़ी (स)	पोड़ी (स) सिलपहरी	पोड़ी (स) सिलपहरी
9. 10. 11. 12.	--,,--	--,,--	5	खम्हारडीह झल्फा तेलसरा पेण्ड्रीडीह मोहभट्ठा मुढ़ीपार रहंगी	5 सरवानी	सरवानी फदहा लिमतरी मगरउछला	सरवानी लितमरी
13. 14. 15.	--,,--	--,,--	6	उमरिया किरारी गोढ़ी देवकिरारी परसदा पत्थरखान बिटकुली बिल्हा भटगांव	6 सारधा	सारधा कुंवा बोहारडीह	सारधा कुंवा
16. 17.	--,,--	--,,--	7	केंवाछी केशला डोड़गी निपनिया भैंसबोड़ पेण्डरवा हरदी हिर्री	7 कड़ार	कड़ार धमनी	कड़ार धमनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	बिल्हा	बिल्हा	8	अटर्रा	8	सेंवार	सेंवार
19.				अमेरीकापा	सेंवार	बुन्देला	बुन्देला
20.				ऐठुलकापा		कया	
				खन्तहा			
				डोकलाडीह			
				धौराभाठा			
				पौंसरी			
				भोजपुरी			
				मोहदा			
				सम्बलपुरी			
21.	--,,--	--,,--	9	अमेरी अकबरी	9	तेलसरा	तेलसरा
22.				उड़गन	तेलसरा	मुढ़ीपार	मुढ़ीपार
				गोंढ़ी			
				दगौरी			
				सत्तीघाट			
23.	--,,--	--,,--	10	करही	10	पेण्ड्रीडीह	पेण्ड्रीडीह
24.				कोटिया	रहंगी	मोहभट्ठा	रहंगी
25.				कौहरौदा		रहंगी	
26.				घोघरा		खम्हारडीह	
				चुराघाट			
				चोरहाभैना			
				उड़नताल			
				मुरकुटा			
				मोहतरा			
				सिलयारी			
				सोनपुरी			
27.	--,,--	--,,--	11	अमलडीहा	11	हरदी	हरदी
28.				कुंवापाली	हरदी	झलफा	झलफा
				खपरी			
				बरतोरी			
29.	--,,--	--,,--	12	गुमा	12	पेण्डरवा	पेण्डरवा
30.				झाल	हिर्री	हिर्री	हिर्री
31.				नवागांव		निपनिया	
				पोड़ी			
				सेंवती			
				हथनी			
32.	--,,--	--,,--	13	कनेरी	13	धौंराभाठा	धौंराभाठा
33.				कुंवा	धौराभाठा	मोहदा	मोहदा
				खुडियाडीह			
				पिरैया			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				बुंदेला			
				बोड़सरा			
				बोहारडीह			
34.	बिल्हा	बिल्हा	14	कुरेली	14	भोजपुरी	भोजपुरी
35.				खाम्हारडीह	भोजपुरी	अटर्रा	संबलपुरी
36.				दुरूगडीह		संबलपुरी	
37.				पासीद		खन्तहा	
38.				बेलटुकरी		डोकलाडीह	
				मटियारी			
				मंगला			
39.	–	–	–	कुल ग्राम 91	15	अमेरीकापा	अमेरीकापा
40.					अमेरीकापा	ऐंठुलकापा	पौंसरी
41.						पौंसरी	
42.	–	–	–	–	16	केंवाछी	केंवाछी
43.					केंवाछी	डोंड़की	भैंसबोड़
44.						भैंसबोड़	
45.						पत्थरखान	
46.	–	–	–	–	17	बिल्हा (नगर पंचायत)	बिल्हा नगर पंचायत
47.					बिल्हा	केशला	
48.	–	–	–	–	18	भटगांव	भटगांव
49.					भटगांव	परसदा	बिटकुली
50.						बिटकुली	
51.	–	–	–	–	19	उमरिया	उमरिया
52.					देवकिरारी	देवकिरारी	देवकिरारी
53.						किरारीगोढ़ी	
54.	–	–	–	–	20	अमेरीअकबरी	अमेरीअकबरी
55.					अमेरीअकबरी	उटगन	गोड़ी
56.						गोड़ी	
57.	–	–	–	–	21	दगौरी	दगौरी
58.					दगौरी	सत्तीघाट	उड़नताल
59.						उड़नताल	
60.						चुराघाट	
61.	–	–	–	–	22	मुरकुटा	मुरकुटा
62.					मुरकुटा	करही	मोहतरा
63.						सिलयारी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
64.						सोनपुरी	
65.						मोहतरा	
66.						कोटया	
67.	–	–	–	–	23	घोघरा	घोघरा
68.					घोघरा	कोहरौदा	अमलडीहा
69.						चोरहाभैना	
70.						अमलडीहा	
71.						खपरी	
72.	–	–	–	–	24	बरतोरी	बरतोरी
73.					बरतोरी	खम्हारडीह	खम्हारडीह
74.						कुवांपाली	
75.	–	–	–	–	25	पोड़ी	पोड़ी
76.					पोड़ी	सेवती	हथनी
77.						हथनी	
78.						नवागांव	
79.	–	–	–	–	26	झाल	झाल
80.					बोड़सरा	गुमा	बोड़सरा
81.						बोहारडीह	
82.						बोड़सरा	
83.						खुड़ियाडीह	
84.	–	–	–	–	27	पिरैया	पिरैया
85.					पासीद	कनेरी	पासीद
86.						पासीद	
87.						दुरुगडीह	
88.	–	–	–	–	28	मंगला	मंगला
89.					बेलटुकरी	कुरेली	बेलटुकरी
90.						बेलटुकरी	
91.						मटियारी	
	–	–	–	–		**कुल 91 ग्राम**	**2 नगर पंचायत 52 ग्राम पंचायत**

सुबोध कुमार सिंह,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला-बीजापुर (छ. ग.)

बीजापुर, दिनांक 8 मई 2008

क्रमांक/233/अ. भू. अ./स्था./08.— एतद्द्वारा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बीजापुर के तहसील बीजापुर एवं भैरमगढ़ में स्थित ग्रामों के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 की कंडिका (1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत एवं आयुक्त, भू-अभिलेख, छ. ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/696/आ. भू. अ./सर्वे तकनीकी/08 दिनांक 01-02-2008 में दिये गये प्रावधानों के तहत निम्नानुसार किया जाता है.

वर्तमान हल्का बन्दी तहसील बीजापुर					पुर्नगठित हल्का बन्दी तहसील बीजापुर					
क्र.	तहसील का नाम	रा0नि0मं0 का नाम	प.ह.नं. व पटवारी मुख्यालय ग्राम का नाम	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्रामों का नाम	क्र.	तहसील का नाम	रा0नि0मं0 का नाम	प.ह.नं. व पटवारी मुख्यालय ग्राम का नाम	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्रामों का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
1	बीजापुर	बीजापुर	18 पुसनार	गोंगला	1	बीजापुर	बीजापुर	1 गोंगला	1.—गोंगला,	गोंगला, कमकानार
				चोकनपाल					2.— चोकनपाल	
				कमकानार					3.—कमकानार	
				चिन्नाजोजेर					4.— चिनाजोजेर	
				पुसनार					पुसनार	
				मेटापाल					मेटापाल	
				मरीवाडा					मरीवाडा	
				हिरोली वनग्राम					हिरोली वन ग्राम	
				रेड्डी					रेड्डी	
2	—"—	—"—	19 गंगालूर	डुमीर पालनार वनग्राम	2	—"—	—"—	2 पुसनार	पुसनार	पुसनार,मेटापाल
				कावडगॉव वनग्राम					मेटापाल	
				छोटे हिरोली —"—					मरीवाडा	
				गंगालूर					हिरोली वन ग्राम	
				बुरजी						
				कुरूष						
				नैनपाल						
				मल्लूर						
				एडसमेटा वनग्राम						
3	—"—	—"—	20 पिडिया	पिडिया	3	—"—	—"—	3 रेड्डी	रेड्डी	रेड्डी, पदमूर
				गम्पूर					डुमीरपालनार वनग्राम	
				तामोडी					कावडगॉव वनग्राम	

				अण्डरी					छोटे हिरोली वनग्राम	
				कुएम					जारगोया	
				डोडीतुमनार					पेद्दाजोजेर	
				मिरगानघोटूल					कोटेर	
									चेरकटी	
									पदमूर	
4	—"—	—"—	21 चेरपाल	तोडका	4	—"—	—"—	4 गंगालूर	गंगालूर	गंगालूर, बुरजी
				सावनार					बुरजी	
				कोरचोली					कुरूष	
				नेड्रा					नैनपाल	
				चेरपाल					मल्लूर	
				पालनार					एडसमेटा वनग्राम	
				पद्देडा						
				पेदाकोरमा						
				मुन्गा						
				ताकेकोरमा वनग्राम						
				बोडलापुसनार वनग्राम						
5	—"—	—"—	22 चेरकटी	कोटेर	5	—"—	—"—	5 पिडिया	पिडिया	पिडिया, गम्पूर
				पदमूर					गम्पूर	
				कडेर					तामोडी	
				घुम					अण्डरी	
				कडेनार					कुएम	
6	—"—	—"—	23 कैका	जारगोया	6	—"—	—"—	6 तोडका	डोडीतुमनार	डोडीतुमनार, तोडका
				पेदाजोजेर					मिरगान घोटूल	
				कैका					तोडका	
				कचीलवार					इडेनार वनग्राम	
				मोसला					सावनार	
				गुण्डापूर					कोरचोली	
									नेण्ड्रा वनग्राम	
7	—"—	—"—	24 तुमनार	तुमानार	7	—"—	—"—	7 चेरपाल	चेरपाल	चेरपाल, पालनार
				कोयाइटपाल					पालनार	
				पेद्दाकोडेपाल						
				सतषपुर						
				पामुलवाया						
				पोंजेर						
				चिलनार						
				भोषागुडा						
				सागवाही						
8	—"—	—"—	25(अ) बीजापुर	बीजापुर	8	—"—	—"—	8 पद्देडा	पद्देडा	पद्देडा, पेदाकोरमा

				मनकेली वनग्राम					पेदाकोरमा	
				गोरना —"—					मुन्गा	
				तुरनार					भोगमगुडा	
				नैमेड					इसुलनार वनग्राम	
				मुसालूर					काकेकोरमा —"—	
				नुकानपाल					बोडला पुषनार वनग्राम	
9	—"—	—"—	25(ब) बीजापुर	एरमनार	9	—"—	—"—	9 कैका	कडेर	कडेर, कैका
				कुएनार					कैका	
				कोमला					घुमरा	
				दुगोली					कचिलवार	
									दूरधा	
									मोसला	
									गुण्डापुर	
									जपेली	
10	—"—	—"—	26 तोयनार	तोयनार	10	—"—	—"—	10 तुमनार	कडेनार	कडेनार, तुमानार
				मोरमेड					तुमनार	
				चिन्तनपल्ली						
				काकडमेटा विरान						
				गुज्जाकोन्टा विरान						
				आदेड विरान						
				मातला विरान						
				इतुलनार विरान						
				पापनपाल						
				मिडते						
				दुपेली						
				कचलारम						
11	—"—	—"—	27 धनोरा	धनोरा	11	—"—	—"—	11 संतषपुर	कोयाईटपाल	पेद्दाकोडेपाल,संतषपुर
				बोरजे					पेद्दाकोडेपाल	
				कोतापाल					संतषपुर	
									पामलवाया	
									पोंजेर	
									चिल्लनार	
									मोसागुडा	
									सागवाही	
12	—"—	—"—	28 चिन्नाकवाली	चिन्नाकवाली	12	—"—	—"—	12 बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर, मनकेली
				चिन्नाकोडेपाल					मनकेली	
				रालापाल					गोरना	
				पेद्दाकवाली						
				कान्दूलनार						

				गुडीपाल					
				आदेड					
13	—"—	—"—	—	—	13	—"—	—"—	13 दुगोली	एरमनार	एरमनार,दुगोली
									कुएनार	
									कोमला	
									दुगोली	
14	—"—	—"—	—	—	14	—"—	—"—	14 माझीगुडा	इटपाल	इटपाल
									जैतालूर	
									माझीगुडा	
									तुरनार	
15	—"—	—"—	—	—	15	—"—	—"—	15 नैमेड	नैमेड	नैमेड, मुसालूर
									मुसालूर	
									नुकानपाल	
16	—"—	—"—	—	—	16	—"—	—"—	16 तोयनार	तोयनार	तोयनार, मोरमेड
									मोरमेड	
									चिन्तनपल्ली	
									काकडमेटा विरान	
									गुज्जाकोन्टा विरान	
									आदेड —"—	
									मातला —"—	
									हितुलनार —"—	
17	— —	—"—	—	—	17	—"—	—"—	17 पापनपाल	पापनपाल	पापनपाल, मिडते
									मिडते	
									दुपेली	
									कचलारम	
18	—"—	—"—	—	—	18	—"—	—"—	18 धनोरा	धनोरा	धनोरा,बोरजे
									बोरजे	
									कोतापाल	
19	—"—	—"—	—	—	19	—"—	—"—	19 चिन्नाकवाली	चिन्नाकवाली	चिन्नाकवाली,कान्दुलनार
									चिन्नाकोडेपाल	
									रालापाल	
									पेद्दाकवाली	
									कान्दुलनार	
									गुडोपाल	
									आदेड	
				तहसील भैरमगढ़						
1	भैरमगढ़	भैरमगढ़	1 फरसेगढ़	गुमनेर विरान	1	भैरमगढ़	भैरमगढ़	1 सागमेटा	सागमेटा	सागमेटा
				फरसेगढ़					एलीगाड्रा	
				एडसगोन्दी					करेमरका विरानग्राम	

				छोटे आलवाडा					दामारम	
				मण्डेम					मुकावेली	
				कुपरेल					डोके	
				सोमनपल्ली					सालेपल्ली	
				रानीबोदली					ताडमेड्री	
				चटपल्ली					रेंगावाया	
				भट्पल्ले					मरीमडगू	
				गट्टापल्ली					डोडीमरका	
				कोपनजरी					सुचकोन्टा	
				मुकरम					बडेआलवाडा	
				कातूर					बडेगुन्डम विरान	
				ओडसनपल्ली					झाडीगुट्टा विरान	
				पैंकरम					पालदेवी विरान	
				मुचलेर					गुट्टामरका विरान	
				कोरलापल्ली					कुसुमवेली विरान	
				चिनगेर					मरलम विरान	
				कोडेपल्ली					गुमनेर विरान	
				एडकापल्ली					डाका तुरी विरान	
				जारवा						
				डोडीमरका						
				गुमनेर विरान						
				डोडीमरका माडग्राम						
2	भैरमगढ़	भैरमगढ़	2 सागमेटा	सागमेटा	2	भैरमगढ़	भैरमगढ़	2 फरसेगढ़	फरसेगढ़	फरसेगढ़
				एलीगेण्ड्रा					एड्सगोंदी	
				करेमरका विरान					छोटे आलवाड़ा	
				दामारम					मण्डेम	
				मुकावेली					कुपरेल	
				डोके						
				सालेपल्ली						
				सुचकोन्टा						
				बड़ेआलवाड़ा						
				बड़ेगुण्डम विरान						
				पालदेवी विरान						
				गुट्टामरका विरान						
				कुसुमवेली विरान						
				कोपनजरी						
				मुकारम						
3	भैरमगढ़	भैरमगढ़	3 बेदरे	डाकातूरी विरानग्राम	3	भैरमगढ़	भैरमगढ़	3 सोमनपल्ली	सोमनपल्ली	सोमनपल्ली
				करकेली					रानीबोदली	पैंकरम

				ओड़सनपोड़का					चटपल्ली	
				बेदरे					भटपल्ली	
				वायानार					गट्टापल्ली	
				ओडरू विरान					कोपनजरी	
				ओडरूतोंग विरान					मुकरम	
				बोड़मेटा विरान					कातुर	
				ओमरा विरान					ओड़सनपल्ली	
				कोपारम विरान					पेंकरम	
									मूचलेर	
									कोरलापल्ली	
									चिनगेर	
4	भैरमगढ़	भैरमगढ़	4 ओड़सनपोरका	गट्टापल्ली	4	भैरमगढ़	भैरमगढ़	4 ओड़सनपोरका	करकेली	
				मुरकीनार					कोड़ेपल्ली	
				मरलम					मुरकीनार	
				नयातुमीरगुण्डा					ओड़सनपोरका	
				मज्जीमेण्ड्री					एड़कापल्ली	
				मादेपुर					कुपरेल विरान	
				कुगरेल					चिन्नाटोकामेटा विरान	
				मादेपुरतुरी					बड़ेबोदली विरान	
				मेड़पाल विरान						
				मादेगुण्डम वि						
5	भैरमगढ़	भैरमगढ़	5 जारामरका	कुम्बाड़ी विरान	5	—"—	—"—	5 बेदरे	बेदरे	बेदरे
				उसकापटनम					वायानार	
				वीराभट्टी					नयातुमिरगुण्डा	
				छोटेबोदली					मज्जीमेन्ड्री	
				जारामरका					मादेपुर	
				हुरोगुवाली					कुगलेर	
				हिंगमेटा					मादेपुरतुरी	
				नुगूर					मेडपाल विरान	
				टेकलानुगूर					ओडरू विरान	
				कोण्डे					ओडरूतोंग विरान	
				नेड़वाया					वोडमेटा विरान	
				कुम्हारमेटा विरान					ओमरा विरान	
				उईकल विरान					मादेगुण्डम विरान	
				आदेर विरान					कोपारम —"—	
				पदमेटा माड़ग्राम					बीका —"—	
				करंगुल माड़ग्राम					कुम्बाडी —"—	
				ताड़वाड़ा माड़ग्राम						
				लंका माड़ग्राम						

				रेकापाल						
				आकलका						
				अम्बेली						
				टुगेली						
6	–"–	–"–	6 परकेली	मुचलेर विरान	6	–"–	–"–	6 जारामरका	उस्कापटनम	उस्कापटनम,हुरोगुवाली
				ओमरा विरान					जारवा	
				बण्डेमरका					मुसली	
				तेलीटेकला					बीराभट्टी	
				भूरी					छोटेबोदली	
				गुडरा					जारामरका	
				डोडुम					बन्देपरे	
				कोडका					हुरोगुवाली	
				इदवाडा					हिंगमेटा	
				परकेली					नुगूर	
				गुटामगी					टेकलानुगूर	
				भूरीपाल विरान					कोण्डे	
				बडेटेकमेटा					नेडवाया	
				हुरेवाडा					कुम्हारमेटा विरान	
				चिन्तादेवी					मुचलेर विरान	
				जपेली					ओमरा विरान	
				चिन्दवाया विरान					उईकल विरान	
				वीकल विरान					आदेर विरान	
				मुरूमवाडा माडग्राम					पदमेटा माडग्राम	
				जाटलूर माडग्राम					करंगुल माडग्राम	
				दिवालूर–"–					ताडवाडा माडग्राम	
				बोटेर –"–					लंका माडग्राम	
				एडसमेटा –"–					रेकापाल माडग्राम	
				कोमू –"–						
				टहकावाडा –"–						
7	–"–	–"–	7 कुटरू	आडावली	7	–"–	–"–	7 अम्बेली	आकलका	अम्बेली, आडावली
				मण्डीमरका					अम्बेली	
				प्रोनोडवाया					टुगेली	
				ताड्मेर					बण्डेमरका	
				कुटरू					आडावली	
				मंगापेटा					मण्डीमरका	
				पाताकुटरू					पोनोडवाया	
				पेटा					ताडमेर	
				जेंगूर						
				छोटेपोटेनार						

				दरभा						
				बेचरम						
				केतुलनार						
				मेडपाल						
				कोटमेटा						
8	–"–	–"–	8 गुदमा	सकनापल्ली	8	–"–	–"–	8 कुटरू	कुटरू	कुटरू
				पिण्डुमपाल					मंगापेटा	
				झाडीगुट्टा					पाताकुटरू	
				गुदमा						
				तुमला						
				कोमपल्ली						
				केतनपाल						
				एरामगी वनग्राम						
				जेवारम						
				बेंगला						
				हितुलवाडा						
				छोटेगोंगला विरान						
				कोन्ड्रोजी						
				छोटेतुमनार						
9	–"–	–"–	9 भैरमगढ़	तुरेनार	9	–"–	–"–	9 परकेली	पेटा	पेटा
				करेमरका					तेल कला	
				टिंडोडी					भूरी	
				धुसावाड					गुडरा	
				पुसनार					डोडूम	
				भैरमगढ़					कोडका	
				पातरपारा					इदवाडा	
				पोन्दुम					परकेली	
				पल्लेवाया वनग्राम					गुटामगी	
				केशकुतूल					पूसलंका विरान	
				हल्लूर					भूरीपाल –"–	
									बडेटेकमेटा	
									हुरेवाडा	
									चिन्तादेवी	
									जपेली	
									छिवाडा विरान	
									वीकल –"–	
10	–"–	–"–	10 जॉगला	गदामली	10	–"–	–"–	10 जैगूर	जैगूर	जैगूर, दरभा
				मिनगाचल					फुल्लोड आबाद	
				मिनगाचल विरान					छोटेपोटेनार	

				बडेतुगाली				दरभा	
				पिटेतुगाली				बेचरम	
				मेडपाल					
				बरदेला					
				पोटेनार					
				पिडगातुगाली					
				जांगला					
				माटवाडा					
				कोतरापाल					
				कोतरापाल वनग्राम					
11	–"–	–"–	11 चिहका	बेलचर	11	–"–	–"–	11 सकनापल्ली	सकनापल्ली	सकनापल्ली, केतुलनार
				बिरियाभूमि				पिण्डुमपाल	
				हिंगुम				झाडीगुट्टा	
				इदेर				केतुलनार	
				डालेर					
				जारामोंगिया					
				आदवाडा					
				मंगलनार					
				ओडसा					
				गुडसाकल					
				भटवाडा					
				चिहका					
				उसपरी					
12	–"–	–"–	12 बडेपल्ली	दारमेर	12	–"–	–"–	12 गुदमा	गुदमा	गुदमा,कोमपल्ली
				बोडगा				तुमला	
				बडेपल्ली				कोमपल्ली	
				छोटेपल्ली				केतनपाल	
				झिल्ली				एरांमगी वन ग्राम	
				ताकीलोड					
				मरामेटा					
				ताडवाल					
				किसकल					
				कोलनार					
				मर्दिगपाल					
				पदमेटा					
				गोडमेटा					
				डूगा माडग्राम					
				घोट –"–					
				कलहाजा –"–					

				उसेली –"–						
				बेल्लड –"–						
				पोरोवाडा –"–						
				पोचावाडा –"–						
				पिडियाकोट –"–						
				कोकेरलंका –"–						
				रेखावाया –"–						
				घुसलामा –"–						
				हितुल –"–						
13	–"–	–"–	13 मंगनार	मंगनार	13	–"–	–"–	13 जैवारम	जैवारम	जैवारम, गदामली
				गुफा					बेंगला	
				पदनार					हितुलवाडा	
				बोधघाट					गदामली	
				सडार					मिनगाचल	
				इतालकुडुम					मिनगाचल वनग्राम	
				टूडेर						
				बेंगलूर						
				कटोली						
				कोयन						
				कोसलनार						
				तुषवाल						
				तोडमा						
				बुडदुम						
				मटासी						
				बाकेली						
				इरपानार						
				आदेवाडा						
				गोमटेर						
				कोकावाडा						
				कुकाडी विरान						
				जारे –"–						
				सेहरामेटा –"–						
				बाडीज –"–						
				कोकाचल –"–						
				कामडगू –"–						
				कोहकापाल –"–						
				तुरेवाया –"–						
				कोहकामेटा –"–						
				नयानार –"–						

				कुपारी –"–						
				आदेर –"–						
				कोरो –"–						
				निराली –"–						
				कुपासी –"–						
				पुसबाका –"–						
				कारीबेडा –"–						
				पिकमोहनार –"–						
				डोडूम –"–						
				कोण्डलाजी –"–						
				तुरी उर्फ पोरोवाया						
				थुलथुली माडग्राम						
				नेण्डूर –"–						
				रेंगावाया –"–						
				कुए –"–						
				रोताड –"–						
				मुरूमवाडा माडग्राम						
				ताडनार –"–						
				बेटेकल –"–						
				आदवाडा –"–						
				गोगाडी –"–						
				मोहनार –"–						
				कोरबिडा –"–						
				गावाडी –"–						
14	–"–	–"–	14 बेलनार	चिनगेर	14	–"–	–"–	14 बरदेला	बडेतुगाली	बडेतुगाली,पोटेनार
				निराम					पिटेतुगाली	
				पल्लेवाया					मेटपाल	
				मिन्दर विरानग्राम					छोटेगोंगला विरान	
				तेन्दूरा –"–					बरदेला	
				बोटी उर्फ दारागुड़ा					पोटेनार	
				बेलनार					तुरेनार	
				ऐहकेली					पिडगातुगाली	
				बैल						
				उतला						
				ताडोवोट						
				घोटपाल						
				धरमा						
15	–"–	–"–	15 नेलसनार	बागोली	15	–"–	–"–	15 जागला	जागला	जागला,कोन्ड्रोजी
				सतवा					कोन्ड्रोजी	

				मरकापाल				छोटेतुमनार	
				नेलसनार					
				सुरोखी					
				डारापाल					
				कोडोली					
				चिडरापाल					
16	—"—	—"—	16 पिनकोण्डा	तडकेल	16	—"—	—"—	16 माटवाडा	माटवाडा	माटवाडा,टिंडोडी
				फुलादी				कोतरापाल	
				पिनकोण्डा				कोतरापाल वनग्राम	
				तोयनार				करेमरका	
				केतुलनार				टिंडोडी	
				पाटलीगुडा				धुसावाड	
				एडसमेटा				बेलचर	
				गुपडीलका				कोटमेटा	
17	—"—	—"—	17 मिरतूर	हकुवा	17	—"—	—"—	17 बडेपल्ली	बिरियाभूमि	बिरियाभमि, इतामपाल
				इरपापोमरा				हिंगुम	
				फुलगट्टा				इंदेर	
				पेदापाल				डालेर	
				डेंगमेटा				जारामोंगिया	
				नीलावाया				आदवाडा	
				मिरतूर				इतामपार	
				मदपाल				दारमेर	
				कुडमेर				बोडगा	
				तामोडी				बडेपल्ली	
				तिम्मेनार				छोटेपल्ली	
				बेचापाल				झिल्ली	
				ऐटेपाल				मुरुमवाडा माडग्राम	
				हुरेपाल				डोडीमरका —"—	
				एण्ड्रीनार				जाटलूर —"—	
				पोरोवाडा				दिवालूर —"—	
				जब्बे विरान				बोटेर —"—	
				कोलागुडा विरान				गुण्डेकोट —"—	
				कोरनडोडी —"—				एडसमेटा —"—	
				डारापाल —"—				कोम्हू —"—	
				हुरोगुण्डा —"—				नेडवाया —"—	
				बाटतोंग —"—				टहकावाडा —"—	
				पिटेपाल					
				चेरली					
				दोरागुडा					

				ओकेनार						
				कोण्डापाल						
				डुकामेटा विरान						
				एडसपदर –"–						
18	–"–	–"–	18	–	18	–"–	–"–	18 ताकीलोड	ताकीलोडा	ताकीलोड,मरामेटा
									मरामेटा	
									ताडवाल	
									किसकल	
									कोलनार	
									मर्दिगपाल	
									पदमेटा	
									गोडमेटा	
									डूगा माडग्राम	
									घोट –"–	
									कलहाजा –"–	
									उसेलो –"–	
									बेल्लड –"–	
									पोरोवाडा –"–	
									पोचावाडा –"–	
									पिंडियाकोट –"–	
									कोकेरलंका –"–	
									रेखवाया –"–	
									पुसलामा –"–	
									हितुल –"–	
19	–"–	–"–	–	–	19	–"–	–"–	19 मंगनार	मंगनार	मंगनार,कोसलनार
									गुफा	
									पदनार	
									बोधघाट	
									सडार	
									इतालकुडुम	
									टुडेर	
									बेगलूर	
									कटोली	
									कोयम	
									कोसलनार	
20	–"–	–"–	–	–	20	–"–	–"–	20 तुषवाल	तुषवाल	तुषवाल
									तोडमा	
									बुडदुम	
									मटासी	

									बाकेली	
									इरपानार	
									आदेवाडा	
									गोमटेर	
									कोहकावाडा	
									कुकाडी विरान	
									जारे –"–	
									सेहरामेटा –"–	
									बाडीज –"–	
									कोकाचल –"–	
									कामडगू –"–	
									कोहकापाल –"–	
									तुरेवाया –"–	
									कोहकामेटा –"–	
									नयानार –"–	
									कुपारी –"–	
									आदेर –"–	
									कोरो –"–	
									निराली –"–	
									कुपासी –"–	
									पुसबाका –"–	
									कारीबेडा –"–	
									पिकमाहनार –"–	
									डोडुम –"–	
									कोण्डलाजी –"–	
									तुरी उर्फ पोरोवाया	
									थुलथुली माडग्राम	
									नेण्डूर –"–	
									रेंगावाया –"–	
									कुए –"–	
									रोताड –"–	
									मुरूमवाडा –"–	
									ताडनार –"–	
									बेटेकल –"–	
									आदवाडा –"–	
									बोगाडी –"–	
									मोहनार –"–	
									कोरोबेडा –"–	
									गावाडी –"–	

21	–"–	–"–	–	–	21	–"–	–"–	21 चिनगेर	चिनगेर	चिनगेर,बागोली
									निराम	
									पल्लेवाया	
									मिन्दर विरान	
									तुन्दूर –"–	
									बोटी उर्फ दारागुडा	
									बागोली	
									सतवा	
									मरकापाल	
22	–"–	–"–	–	–	22	–"–	–"–	22 बेलनार	बेलनार	बेलनार
									हुरेगुण्डा माडग्राम	
									आलवाडा –"–	
23	–"–	–"–	–	–	23	–"–	–"–	23 मंगलनार	मंगलनार	मंगलनार,गुडसाकल
									ओडसा	
									पुसनार	
									गुडसाकल	
									भटवाडा	
									चिहका	
									उसपरी	
24	–"–	–"–	–	–	24	–"–	–"–	24 भैरमगढ़	भैरमगढ़	भैरमगढ़,पातरपारा
									पातरपारा	
									पोन्दुम	
									पल्लेवाया वनग्राम	
25	–"–	–"–	–	–	25	–"–	–"–	25 केशकुतुल	केशकुतुल	केशकुतुल,हल्लूर
									हल्लूर	
									हकवा	
									इरपापोमरा	
									ऐहकेली	
									बेल	
									उतला	
									ताडोपोट	
									घोटपाल	
									धरमा	
26	–"–	–"–	–	–	26	–"–	–"–	26 नेलसनार	नेलसनार	नेलसनार,कोडोली
									सुरोखी	
									डारापाल	
									कोडोली	
27	–"–	–"–	–	–	27	–"–	–"–	27 तालनार	तालनार	तालनार,फुलगट्टा
									चिडरापाल	

									फुलगट्टा	
									पेदापाल	
									डेंगमेटा	
									नीलावाया	
28	—"—	—"—	—	—	28	—"—	—"—	28 पिनकोण्डा	पिनकोण्डा	पिनकोण्डा,तोयनार
									तोयनार	
									केतुलनार	
									पाटलीगुडा	
									एडसमेटा	
									गुपडीलका	
29	—"—	—"—	—	—	29	—"—	—"—	29 मिरतूर	मिरतूर	मिरतूर,मदपाल
									तडकेल	
									मदपाल	
									कुडमेर	
									तामोड़ी	
									पुलादी	
30	—"—	—"—	—	—	30	—"—	—"—	30 बेचापाल	बेचापाल	बेचापाल,पिटेपाल
									तिम्मेनार	
									एटेपाल	
									हुरेपाल	
									एण्ड्रीनार	
									पोरोवाडा	
									जब्बे विरान	
									कोलागुडा —"—	
									कोरमडोडी —"—	
									डारापाल —"—	
									हुरोगुण्डा —"—	
									बोटेतोंग —"—	
									पिटेपाल	
									चेरली	
									दोरागुडा	
									ओकेनार	
									कोण्डापाल	
									डुकामेटा विरान	
									एडसपदर —"—	

उक्त अधिसूचना में दर्शित पुर्नगठन हल्कों से संबंधित किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो अपना दावा आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 09.06.2008 समय 5 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

एल. एस. केन,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, रायगढ़, छत्तीसगढ़

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक/618/अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हल्का पुनर्गठन के संबंध में पूर्व प्रकाशित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये मैं ठा. रामसिंह, कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील रायगढ़ के राजस्व ग्रामों के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूँ. जिसमें वन ग्राम शामिल नहीं होगा.

सूची

क्र0	प0 ह0 न0	पटवारी का निर्धारित मुख्यालय	ग्राम पंचायत	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	1	कोड़तराई	कोड़तराई	कोड़तराई	
			कुशवाबहरी	कुशवाबहरी	
				केराझर	
				गढ़कुर्री	
2	2	परसदा	परसदा	परसदा	
				मुरालीपाली	
				डोगाढकेल	
			पण्डरीपानी	पण्डरीपानी	
3	3	कांशीचुवां	कांशीचुवां	कांशीचुवां	
			डोंगीतराई	डोंगीतराई	
				हरदीझरिया	
4	4	कछार	कछार	कछार	
			लेबड़ा	लेबड़ा	
				चारभांठा	
5	5	डूमरपाली	डूमरपाली	डूमरपाली	
				बनहर	
			देवरी	देवरी	
6	6	कोकडीतराई	कोकडीतराई	कोकडीतराई	
			उच्चभिट्ठी	उच्चभिट्ठी	

7	7	गेजामुड़ा	गेजामुड़ा	गेजामुड़ा	
				रामपुर छोटे	
			कोसमपाली	कोसमपाली	
8	8	जोरापाली	जोरापाली	जोरापाली	
				कोसमनारा	
			कलमी	कलमी	
9	9	सांगीतराई	सांगीतराई	सांगीतराई	
			अमलीभौना	अमलीभौना	
10	10	धनागर	धनागर	धनागर	
			ननसिया	ननसिया	
				केनापाली	
				छुहीपाली	
11	11	जामपाली	जामपाली	जामपाली	
				बघनपुर	
			उसरौट	उसरौट	
12	12	बायंग	बायंग	बायंग	
			पनझर	पनझर	
				रानीगुड़ा	
13	13	नंदेली	नंदेली	नंदेली	
				बैसपाली	
			सरडामाल	सरडामाल	
				बोकरागुड़ा	
14	14	बरपाली	बरपाली	बरपाली	
				मौहापाली	
				अरसीपाली	
			नवापारा	नवापारा	
				जुनवानी	
15	15	कुलबा	कुलबा	कुलबा	
				नवागांव	
			सरवानी	सरवानी	
				लिटाईपाली	
16	16	कांटाहरदी	कांटाहरदी	कांटाहरदी	

			सहसपुरी	सहसपुरी	
			बरदापुटी	बरदापुटी	
				बसंतपुर	
17	17	नौरंगपुर	नौरंगपुर	नौरंगपुर	
			भातपुर	भातपुर	
				साल्हेपाली	
				दुलोपुर	
18	18	तारापुर	तारापुर	तारापुर	
				औराभांठा	
			कुरमापाली	कुरमापाली	
				ठाकुरपाली	
19	19	कोतरा	कोतरा	कोतरा	
			बालमगोड़ा	बालमगोड़ा	
20	20	कुसमुरा	कुसमुरा	कुसमुरा	
			बनसिया	बनसिया	
21	21	पटेलपाली	पटेलपाली	पटेलपाली	
			तरकेला	तरकेला	
22	22	रायगढ़	शहरी क्षेत्र	दरोगामुड़ा	
				मिट्ठमुड़ा	
23	23	रायगढ़	शहरी क्षेत्र	रामपुर बड़े	
				बैकुण्ठपुर	
				जगतपुर	
24	24	भगवानपुर	भगवानपुर	भगवानपुर	
				कृष्णापुर	
			गोरखा	गोरखा	
25	25	पतरापाली प.	पतरापाली प.	पतरापाली प.	
			सराईपाली	सराईपाली	
				बरमुड़ा	
26	26	खैरपुर	खैरपुर	खैरपुर	
				टीपाखोल	
			चिराईपानी	चिराईपानी	
27	27	गेरवानी	गेरवानी	गेरवानी	

				शिवपुरी	
			देलारी	देलारी	
				पाली	
28	28	उरदना	उरदना	उरदना	
			लाखा	लाखा	
				चिराईपानी	
29	29	रायगढ़	शहरी क्षेत्र	बांजीपाली	
				अतरमुड़ा छोटे	
				कौहाकुंड़ा	
				बेलादुला	
30	30	बोईरदादर	बोईरदादर	बोईरदादर	
			विजयपुर	विजयपुर	
				गोर्वधनपुर	
31	31	सम्बलपुरी	सम्बलपुरी	सम्बलपुरी	
				बादपाली	
			रेगड़ा	रेगड़ा	
32	32	भेलवांटिकरा	भेलवांटिकरा	भेलवांटिकरा	
				दनौट	
			बरलिया	बरलिया	
				आमापाल	
				लामीदरहा	
33	33	चक्रधरपुर	नवागांव	नवागांव	
				चक्रधरपुर	
				धुमाबहाल	
				छिरवानी	
			बंगुरसिया	बंगुरसिया	
				जुनवानी	
34	34	तिलगा	तिलगा	तिलगा	
			झारगुड़ा	झारगुड़ा	
				नटवरपुर	
				अड़बहाल	
				देवबहाल	

35	35	भगोरा	भगोरा	भगोरा	
			सपनाई	सपनाई	
				बलभद्रपुर	
				सरबहाल	
				सिकोसीमाल	
				बनबहरी	विरान ग्राम
				नवबहाल	विरान ग्राम
36	36	टारपाली	टारपाली	टारपाली	
			पतरापाली पूर्व	पतरापाली पूर्व	
37	37	गोपालपुर	गोपालपुर	गोपालपुर	
				भिखारीमाल	
			कोतरलिया	कोतरलिया	
				चिट्काकानी	
38	38	पण्डरीपानी पू.	पण्डरीपानी पू.	पण्डरीपानी पू.	
				अतरमुड़ा बडे	
				बेंदरा चुआ	
			जुर्डा	जुर्डा	
39	39	सियार पाली	सियार पाली	सियार पाली	
				कोटरापाली	
			कोटमार	कोटमार	
				कारीछापर	
40	40	लोईग	लोईग	लोईग	
			विश्वनाथपाली	विश्वनाथपाली	
				कोसम पाली	
41	41	मौहापाली	मौहापाली	मौहापाली	
			सकरबोगा	सकरबोगा	
				साल्हेओना	
42	42	बनोरा	बनोरा	बनोरा	
			बेलरिया	बेलरिया	
				डूमरपाली	
43	43	कुकुर्दा	कुकुर्दा	कुकुर्दा	
			छुहीपाली	छुहीपाली	

				नवापारा	
44	44	जामगांव	जामगांव	जामगांव	
				बेहरापाली	
			कोयलंगा	कोयलंगा	
				भुईयापाली	
45	45	कोलाई बहाल	कोलाई बहाल	कोलाई बहाल	
			मनुवापाली	मनुवापाली	
				सरईपाली	
योग	45	45	85	155	

रामसिंह,
कलेक्टर.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक/618/अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हल्का पुनर्गठन के संबंध में पूर्व प्रकाशित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये मैं ठा. रामसिंह, कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील पुसौर के राजस्व ग्रामों के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूँ. जिसमें वन ग्राम शामिल नहीं होगा.

सूची

क्र0	प0 ह0 न0	पटवारी का निर्धारित मुख्यालय	ग्राम पंचायत	अश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1-	1	गोर्रा	गोर्रा	गोर्रा	
			कौवाताल	कौवाताल	
				राईतराई	
2	2	खोखरा	खोखरा	खोखरा	
			तेलीपाली	तेलीपाली	
				जामपाली	
3	3	केवरिहा	केवरिहा	केवरिहा	
				जोगीतराई	
			लिज़ीर	लिजीर	
				विजना	
4	4	लोहर सिंह	लोहर सिंह	लोहर सिंह	
			सुर्री	सुर्री	
5	5	कोड़ातराई	कोड़ातराई	कोड़ातराई	
			डुमरपाली	डुमरपाली	
				बेलपाली	
				कुंजेडबरी	
6	6	छातामुरा	छातामुरा	छातामुरा	

			सहदेव पाली	सहदेव पाली	
7	7	गढ़उमरिया	गढ़उमरिया	गढ़उमरिया	
			दर्रामुड़ा	दर्रामुड़ा	
				गुड़गहन	
8	8	बिजेकोट	बिजेकोट	बिजेकोट	
				नावापाली	
				बोइरडीह	
			एकताल	एकताल	
				धनुहार डेरा	
9	9	झलमला	झलमला	झलमला	
				भाठनपाली	
			सोड़ेकेला	सोड़ेकेला	
				कसाईपाली	
10	10	डुमरमुड़ा	केसला	केसला	
				डुमरमुड़ा	
			मिडमिडा	मिडमिडा	
11	11	आमापाली	आमापाली	आमापाली	
				अमलीपाली	
				मौहापाली	
			मल्दा	मल्दा	
12	12	बडेहल्दी	बडेहल्दी	बडेहल्दी	
				झुलनपाली	
			सुकुलभठली	सुकुलभठली	
				दाऊ भठली	
				घानातराई	
13	13	औरदा	औरदा	औरदा	
			जकेला	जकेला	
14	14	तड़ोला	तड़ोला	तड़ोला	
			झारमुड़ा	झारमुड़ा	
15	15	तेतला	तेतला	तेतला	

			केनसरा	केनसरा	
				बादीमाल	
16	16	पुटकापुरी	पुटकापुरी	पुटकापुरी	
			बासनपाली	बासनपाली	
				बुलाकी	
17	17	नावापारा	नावापारा	नावापारा	
				धनगांव	
			पचेड़ा	पचेड़ा	
				टेका	
				अमलडीह	
18	18	रूचिदा	रूचिदा	रूचिदा	
			लिटाई पाली	लिटाई पाली	
				रावन खोंधरा	
19	19	घुघवा	घुघवा	घुघवा	
				तोराना	
			सेमरा	सेमरा	
				सेमी भांवर	
20	20	जतरी	जतरी	जतरी	
			पुसल्दा	पुसल्दा	
				शंकर पाली	
21	21	तिलगी	तिलगी	तिलगी	
				कारीछापर	
			चिखली	चिखली	
				रैवार	
22	22	सूपा	सूपा	सूपा	
				ठेंगागुड़ी	
			कोतमरा	कोतमरा	
				बरपाली	
				अमलीपाली	
23	23	बड़े भण्डार	बड़े भण्डार	बड़े भण्डार	

				सरवानी
			छोटे भण्डार	छोटे भण्डार
				जेवरीडीह
				अमलीभौना
24	24	टपरदा	टपरदा	टपरदा
				तुपक धार
				कठली
			रनभांठा	रनभांठा
25	25	बुनगा	बुनगा	बुनगा
			बोंदा	बोंदा
				सिलाड़ी
				जिलाड़ी
26	26	नंदेली	नंदेली	नंदेली
				लंकापाली
			कोतासुरा	कोतासुरा
27	27	सारसमाल	कर्राजोर	कर्राजोर
				सारसमाल
				जामपाली
			छींच	छींच
				सुलोनी
28	28	पुसौर	पुसौर	पुसौर
			बाघाडोला	बाघाडोला
				गुड्डु
29	29	कोसमन्दा	कोसमन्दा	कोसमन्दा
				धुरनपाली
			नावापारा (अ)	नावापारा (अ)
				घुटकूपाली
30	30	रेंगालपाली	रेंगालपाली	रेंगालपाली
				बड़माल
				ठेंगापाली

			नेंतनागर	नेंतनागर	
31	31	छपोरा	छपोरा	छपोरा	
				रियापाली	
			कांदागढ़	कांदागढ़	
				बोड़ाझरिया	
32	32	देवलसुर्रा	देवलसुर्रा	देवलसुर्रा	
				आरमुड़ा	
				दर्रीपाली	
			महलोई	महलोई	
				बासनपाली	
33	33	ओडेकेरा	ओडेकेरा	ओडेकेरा	
				सराईपाली	
			तुरंगा	तुरंगा	
				मचिदा	
34	34	गोतमा	गोतमा	गोतमा	
				केशापाली	
				ठाकुरपाली	
			टिनमीनी	टिनमीनी	
35	35	छिछोर उमरिया,	छिछोर उमरिया,	छिछोर उमरिया,	
			सिहा	सिहा	
36	36	बाराडोली	बाराडोली	बाराडोली	
				चंघोरी	
				परसापाली	
			नावापारा (ब्र)	नावापारा (ब)	
				खपरापाली	
				रायपाली	
				सिंहपूरी	
37	37	पड़िगांव	पड़िगांव	पड़िगांव	
			नवापाली	नवापाली	
				सुटूपाली	

				कलमी
				सूरजगढ़
38	38	त्रिभौना	त्रिभौना	त्रिभौना
			छोटे हल्दी	छोटे हल्दी
				ककई मुहान
39	39	कोड़पाली	कोड़पाली	कोड़पाली
			तरडा	तरडा
40	40	लारा	लारा	लारा
			कठानी	कठानी
				लोहाखान
				झिलगीटार
योग		**40**	**80**	**148**

रामसिंह,
कलेक्टर.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक/618/अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हल्का पुनर्गठन के संबंध में पूर्व प्रकाशित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये मैं ठा. रामसिंह, कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील खरसिया के राजस्व ग्रामों के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूँ. जिसमें वन ग्राम शामिल नहीं होगा.

सूची

क्र0	प0ह0नं0	पटवारी का निर्धारित मुख्यालय	ग्राम पंचायत का नाम	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	1	खड़गांव	खड़गांव	खड़गांव	
				मिनगांव	
			केवाली	केवाली	
				कटौद	
2	2	जोबी	जोबी	जोबी	
				बगझर	
			काफरमार	काफरमार	
3	3	गोरपार	गोरपार	गोरपार	
				कसाईपाली	
			खम्हार	खम्हार	
				कोठीकुण्डा	
4	4	गांड़पाली	गांड़ापाली	गांडापाली	
				साजापाली	
				कोठारडीह(विरानग्राम)	विरान ग्राम
			पुछियापाली	पुछियापाली	
				टाड़ापारा	
5	5	बर्रा	बर्रा	बर्रा	
			कुरूं	कुरूं	
				करूवाडीह	

6	6	नगोई	नगोई2	नगोई	
			नंदगांव	नंदगांव	
				तुमीडीह	
				डेराडीह	
7	7	फरकानारा	फरकानारा	फरकानारा	
				चिताकठर्रा	
			छोटेपण्डरमुड़ा	छोटेपण्डरमुड़ा	
				अगासमार	
				छिरपानी	
8	8	डोमनारा	डोमनारा	डोमनारा	
			देहजरी	देहजरी	
				भालूनारा	
9	9	चोढ़ा	चोढ़ा	चोढ़ा	
			बानीपाथर	बानीपाथर	
10	10	ठुसेकेला	ठुसेकेला	ठुसेकेला	
			बांसमुड़ा	बांसमुड़ा	
				जामझोर	
11	11	बोतल्दा	बोतल्दा	बोतल्दा	
				आमाडोल	
			पतरापाली	पतरापाली	
				[illegible]	
				छोटेदेवगांव	
12	12	बरगढ़	बरगढ़	बरगढ़	
				पलगढ़ा	
			ढिमानी	ढिमानी	
				लोधिया	
13	13	सरवानी	सरवानी	सरवानी	
			सूती	सूती	
14	14	तिउर	तिउर	तिउर	
			परसकोल	परसकोल	
15	15	बगडेबा	बगडेबा	बगडेबा	
				बकेली	
				झाराडीह	

			गांड़ाबोरदी	गांड़ाबोरदी	
				गोंडबोरदी	
				कलमीपाट	
16	16	बड़ेदेवगांव	बड़ेदेवगांव	बड़ेदेवगांव	
			पुरेना	पुरेना	
				चारपारा	
17	17	हालाहुली	हालाहुली	हालाहुली	
				डूमरभांठा	
			घघरा	घघरा	
				मकरी	
18	18	तुरेकेला	तुरेकेला	तुरेकेला	
			नावापारा	नावापारा	
				भागोडीह	
19	19	औरदा	औरदा	औरदा	
			परसापाली	परसापाली	
				भदरीपाली	
20	20	तेलीकोट	तेलीकोट	तेलीकोट	
			रतनमहका	रतनमहका	
				गोपीमहका	
21	21	मदनपुर	मदनपुर	मदनपुर	
			भेलवांडीह	भेलवांडीह	
22	22	खरसियां	खरसियां	खरसिंया	
		नगर पालिक क्षेत्र	नगर पालिका क्षेत्र		
23	23	मौहापाली	मौहापाली	मौहापाली	
			अंजोरीपाली	अंजोरीपाली	
				बाम्हनपाली	
24	24	गीधा	गीधा	गीधा	
			छोटेमुडपार	छोटेमुडपार	
25	25	भैनापारा	भैनापारा	भैनापारा	
				कलमी	
			सोनबरसा	सोनबरसा	
				आड़ाझर	
26	26	रानीसागर	रानीसागर	रानीसागर	
				भालूचूंवा	

			कुनकुनी	कुनकुनी	
27	27	बड़ेडूमरपाली	बड़ेडूमरपाली	बड़ेडूमरपाली	
			रजघटा	रजघटा	
				छोटेडूमरपाली	
28	28	पामगढ़	पामगढ़	पामगढ़	
			नावागांव	नावागांव	
				आड़पथरा	
29	29	बरभौना	बरभौना	बरभौना	
				तेन्दुमुड़ी	
				कुकरीचोली	
				छोटेजामपाली	
			गुरदा	गुरदा	
				कर्रानारा उर्फ नौरंगपुर	
30	30	बिंजकोट	बिंजकोट	बिंजकोट	
			जबलपुर	जबलपुर	
				झिटीपाली	
				रसियामुड़ा	
				भगोराडीह	
31	31	नहरपाली	नहरपाली	नहरपाली	
				सिंघनपुर	
			दर्रामुड़ा	दर्रामुड़ा	
				गिण्डोला	
32	32	कुर्रुभांठा	बड़ेजामपाली	बड़ेजामपाली	
				कुर्रुभांठा	
			रक्शापाली	रक्शापाली	
				सलिहाभांठा	
33	33	चपले	चपले	चपले	
			टेमटेमा	टेमटेमा	
				कनमुरा	
				सेन्द्रीपाली	
34	34	पण्डरीपानी	पण्डरीपानी	पण्डरीपानी	
				फुलबंधिया	
			खैरपाली	खैरपाली	

			5	आमापाली	
				बेंन्दोझरिया	
				कुकरीझरिया	
35	35	बसनाझर	बसनाझर	बसनाझर	
			करूमौहा	करूमौहा	
				करपीपाली	
36	36	जैमुरा	जैमुरा	जैमुरा	
				टायंग	
			सोण्डका	सोण्डका	
				बासनपाली	
37	37	मुरा	मुरा	मुरा	
			लोढ़ाझर	लोढ़ाझर	
38	38	नावापारा (पूर्व)	किरीतमाल	किरीतमाल	
			नावापारा (पूर्व)	नावापारा (पूर्व)	
				जैमुड़ा	
39	39	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	
			दर्री	दर्री	
				राजपुर	
			भूपदेवपुर	भूपदेवपुर	
				तिलाईपाली	
	–				
महायोग		39	77	137+1 विरानग्राम	

रामसिंह,
कलेक्टर.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक/618/अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हल्का पुनर्गठन के संबंध में पूर्व प्रकाशित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये मैं ठा. रामसिंह, कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील सारंगढ़ के राजस्व ग्रामों के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूँ. जिसमें वन ग्राम शामिल नहीं होगा.

सूची

क्र0	प0ह0नं0	पटवारी का निर्धारित मुख्यालय	ग्राम पंचायत का नाम	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	1	सिंघनपुर	सिंघनपुर	सिंघनपुर	
			भदरा	भदरा	
2	2	पासीद	पासीद	पासीद	
			मल्दा अ	मल्दा अ	
				रेल्हा (विरान)	विरान ग्राम
3	3	कोसीर	कोसीर	कोसीर	
				भांठागांव	
			बटाउपाली अ	बटाउपाली अ	
				सिलयारी	
4	4	कुम्हारी	कुम्हारी	कुम्हारी	
				पाट	
			कपिसदा अ	कपिसदा अ	
5	5	दहिदा	दहिदा	दहिदा	
				नावापारा	
			अण्डोला	अण्डोला	
6	6	जशपुर	जशपुर	जशपुर	
			गन्तुली बड़े	गन्तुली बड़े	
				बरभांठा	
7	7	गन्तुलीछोटे	गन्तुलीछोटे	गन्तुली छोटे	
				मचगोढ़ा	
				आमाकोनी	
				रामपुर	
			डड़ाईडीह	डड़ाईडीह	
				मधुबन	
				भंवरपुर	

8	8	बरदुला	बरदुला	बरदुला	
				खुड़बेना	
			तिलाईदादर	तिलाईदादर	
				जामपाली	
9	9	मुड़वाभांठा	मुड़वाभांठा	मुड़वाभांठा	
				रक्शा	
			उच्चभिठी	उच्चभिठी	
10	10	चांटीपाली	चांटीपाली	चाटीपाली	
				चनामुड़ा	
				रामभांठा	
				मचलाडीह	
			मुडपारबड़े	मुड़पारबड़े	
				प्रधानपुर	
				सिलादेई	
11	11	लेंधरा	लेंधरा	लेंधरा	
				नाचनपाली	
			रीवापार	रीवपार	
				डंगनिया	
12	12	कलमी	कलमी	कलमी	
				परसापाली	
				बोरीदा	
			साल्हे	साल्हे	
				दलाल	
				अचानकपाली	
13	13	परसदाबड़े	परसदाबड़े	परसदाबड़े	
			परसकोल	परसकोल	
				देवारपाली (विरान)	विरान ग्राम
				गायदरहा	
14	14	टांड़ीपार	टांडीपार	टांडीपार	
			खजरी	खजरी	
				पिकरी	
15	15	छींद	छींद	छींद	
			अमलीपाली अ	अमलीपाली अ	
				बरभांठा	
16	16	केड़ार	केड़ार	केड़ार	
				अमलडीहा	
			पहन्दा	पहन्दा	
				डोमाडीह	
				देवगांव(पठारीपाली)	
17	17	भड़िसार	भड़िसार	भड़िसार	
				भकुर्रा	
			गंजाईभौना	गंजाईभौना	

				चंदली	
				ठेंगाकोट	
				सुवरगुड़ा	
18	18	खरींछोटे	खरींछोटे	खरींछोटे	
				सोड़िका	
				बोईरमाल	
				सराईपाली	
				बेलपाली	
				बोरीद(विरान)	विरान ग्राम
			सहसपानी	सहसपानी	
				जामपाली	
				तेन्दुढार	
				बासनपाली	
				सुरली	
				घानापीपर	
				पुटिया	
				टेढ़ीनाला	
19	19	लीमगांव	लीमगांव	लीमगांव	
				होलधरपाली	
			खोखसीपाली	खोखसीपाली	
				सोंढरडीह	
20	20	कुधरी	कुधरी	कुधरी	
				कट्रेकोनी	
			कटेली	कटेली	
				कोतमरा	
21	21	चन्दाई	चन्दाई	चन्दाई	
				खैराहा	
				जूनाडीह	
			रांपागुला	रांपागुला	
				भेंजनार	
22	22	गोड़िहारी	गोड़िहारी	गोड़िहारी	
				दुर्गापाली	
				हरिहरपाली (विरान)	विरान ग्राम
			कुटेला	कुटेला	
				भोजपुर	
				चिंगरीपाली	
23	23	गाताडीह	गाताडीह	गाताडीह	
				सिरोली	
				नूनपानी	
			खम्हारडीह	खम्हारडीह	
				डोकीजोर	
24	24	उलखर	उलखर	उलखर	

			छुहीपाली	छुहीपाली	
				गोपालभौना	
25	25	रेड़ा	रेड़ा	रेड़ा	
			सुलौनी	सुलौनी	
				सुन्दराभांठा	
				नेकाईनटार	
26	26	कोतरी	कोतरी	कोतरी	
				डूमरडीह	
			पचपेड़ी	पचपेड़ी	
				उधरा	
				भैंसदेहान (विरान)	विरान ग्राम
27	27	बासीनबहरा	बासीनबहरा	बासीनबहरा	
				झारपडीह	
			मुड़पारछोटे	मुड़पारछोटे	
				साराडीह	
28	28	रानीसागर (सारंगढ़)	रानीसागर (सारंगढ़)	रानीसागर (सारंगढ़)	पंचायत एवं नगर पालिका क्षेत्र
29	29	सहसपुर	सहसपुर	सहसपुर	
				कंवलाझर	
				बिशालपुर	
			चंवरपुर	चंवरपुर	
				बरदरहा	
				भंवरपुर	
				बिजयपुर	
30	30	दानसरा	दानसरा	दानसरा	
			अमेंठी	अमेंठी	
				बेलटिकरी	
				झारपाली	
				उम्मेदपुर	
31	31	नवरंगपुर	नवरंगपुर	नवरंगपुर	
				कटराडीह	
				तुलसीडीह	
			ठाकुरदिया	ठाकुरदिया	
				कोसीरछोटे	
				केंवटीनढोढ़ी	
				तामनडीह	
32	32	मुड़ियाडीह	मुड़ियाडीह	मुड़ियाडीह	
				डोंगिया	
				नंदेली	
			खरींबड़े	खरींबड़े	
				परसाडीह	
33	33	हरदी	हरदी	हरदी	
				नंदनपुर (विरान)	विरान ग्राम

				भगड़ा (विरान)	विरान ग्राम
				महकमपुर	
			जिल्दी	जिल्दी	
				मौहापाली	
				दर्राभांठा	
34	34	खैराछोटे	खैराछोटे	खैराछोटे	
				भंवरादादर	
			कुर्रोहा	कुर्रोहा	
				चुरेला	
				भद्रा (विरान)	विरान ग्राम
35	35	कौंवाताल	कौंवाताल	कौंवाताल	
				खुड़ूभांठा	
				बगबिड़ार (विरान)	विरान ग्राम
			हिर्री	हिर्री	
				सुवाताल	
36	36	भेड़वन	भेड़वन	भेड़वन	
				तिलाईमुड़ा	
			जशरा	जशरा	
				धुता	
37	37	घठुंलाछोटे	घठुलाछोटे	घठुलाछोटे	
				छतौना	
			भोथली	भोथली	
				तालदेवरी	
38	38	भीखमपुरा	भीखमपुरा	भीखमपुरा	
				खैराबड़े	
			छर्रा	छर्रा	
39	39	ग्वालीनडीह	ग्वालीनडीह	ग्वालीनडीह	
				बरतुंगा	
			पिंडरी बालोपाट	पिंडरी दुखुपाट	
				पिंडरी बालोपाट	
40	40	कपिसदा ब	कपिसदा ब	कपिसदा ब	
				ठाकुरपाली	
			खुर्सी	खुर्सी	
				बोहारडीह	
				सिंघनपुर	
41	41	गोड़म	गोड़म	गोड़म	
			जेवरा	जेवरा	
				ठेलकाभांटा	
42	42	टिमरलगा	टिमरलगा	टिमरलगा	
			हिच्छा	हिच्छा	
43	43	गुड़ेली	गुड़ेली	गुड़ेली	
				सरसरा	

				सेंदुरस	
				पठारीपाली (विरान)	विरान ग्राम
			धौंराभाठा	धौंराभाठा	
				बंजारी	
				लालाधुरवा	
				जोगनीपाली	
44	44	**अमझर**	**अमझर**	अमझर	
				गातापीढ़ा	
				मकरी	
				भीमसेनडीह	
			अमलीडीपा	अमलीडीपा	
				सोनाडुला	
				बेहराचुवा	
				कंवरगुड़ा	
				भद्रीउड़ान	
45	45	फर्सवानी	फर्सवानी	फर्सवानी	
				लोहारीनडीपा	
				खैरपाली	
			घोठलाबड़े	घोठलाबड़े	
				सराईपाली	
				बिछलवा (विरान)	विरान ग्राम
				झारमुड़ा (विरान)	विरान ग्राम
46	46	सिंगारपुर	सिंगारपुर	सिंगारपुर	
				जोगीडीपा	
			खरवानीबड़े	खरवानीबड़े	
47	47	माधोपाली	माधोपाली	माधोपाली	
				चिखली	
			मौहाढोढ़ा	मौहाढोढ़ा	
				बरभांठा	
48	48	**मल्दा ब**	**मल्दा ब**	**मल्दा ब**	
				देवसर	
			बुदेली	बुदेली	
				बंधापाली	
				बरगांव (विरान)	विरान ग्राम
				बरपाली (विरान)	विरान ग्राम
49	49	**गोड़ा**	गोड़ा	गोड़ा	
				बधनपुर	
				टांड़ापाली (विरान)	विरान ग्राम
			बोईरडीह	बोईरडीह	
				मानिकपुर	
50	50	**बटाउपाली ब**	बटाउपाली ब	**बटाउपाली ब**	
				तिलाईपाली	

				टांगर	
				आमाकोनी	
			बैगीनडीह	बैगीनडीह	
				घोराघाटी	
				कांदुरपाली	
				रेंगालमुड़ा	
				भीमखोलिया	
51	51	सालर	सालर	सालर	
				खैरझिटी	
				हसौद	
			कनकबीरा	कनकबीरा	
				नरगीखोल	
				रामटेक	
				गंधराचुआ	
52	52	परसदा छोटे	परसदा छोटे	परसदा छोटे	
				परसकोल	
				भालूपानी	
				कोर्रापानी	
			डोमाडीह	डोमाडीह	
				झीलगीटार	
53	53	कपरतुगा	कपरतुगा	कपरतुगा	
				रोहिनापाली	
			खरवानीछोटे	खरवानीछोटे	
				बनहर	
				सेंधमाल	
54	54	छातादेही	छातादेई	छातादेई	
				सेमरापाली	
				झलमला	
			अमलीपाली	अमलीपाली	
				छीचपानी	
				पाकरडीह	
				तेंदुआ	
55	55	अचानकपाली	अचानकपाली	अचानकपाली	
				सराईपाली	
				दमदरहा	नरेशनगर (बसाहटग्राम)
			घठोरा	घठोरा	
				करगीपाली	
				टमटोरा	
				बोहराबहाल	शिवपुरी (वन ग्राम)
56	56	खम्हारपाली	खम्हारपाली	खम्हारपाली	
				बगबंध	
				नवापाली	

				लुरका	
				गोमर्डा	जवाहरनगर(बसाहटग्राम)
				भांठाकोना	
				सरियादरहा	
			दबगांव	दबगांव	
				पठारीपाली	
				पिपरदा	
				मांजरमाटी	
योग		56	111	285	वन ग्राम1 बसाहट ग्राम 2

रामसिंह,
कलेक्टर.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक/618/अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हल्का पुनर्गठन के संबंध में पूर्व प्रकाशित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये मैं ठा. रामसिंह, कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील बरमकेला के राजस्व ग्रामों के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूँ. जिसमें वन ग्राम शामिल नहीं होगा.

सूची

अनु0 क0	पटवारी हलका नंबर	पटवारी का निर्धारित मुख्यालय	ग्राम पंचायत	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	1	मानिकपुर	मानिकपुर	मानिकपुर	
				विश्वासपुर	
			छेवारीपाली	छेवारीपाली	
				कुधरगढी	
2	2	साल्हेओना	साल्हेओना	साल्हेओना	
				दादरपाली	
			बरगांव	बरगांव	
3	3	कटंगपाली	कटंगपाली अ	कटंगपाली अ	
				बाजीपाली	
				दुलमपुर	
				मौहापाली	
			बिलाईगढ	बिलाईगढ	
4	4	बेंदा	बेंदा	बेंदा	
				जोतपुर	विरान ग्राम
			नौघटा	नौघटा	
				छैलफोरा	
5	5	भिखमपुरा	भिखमपुरा	भिखमपुरा	
				बुदबुदा	
			पिहरा	पिहरा	
				विजयपुर चिन्तामणी--पाट (बिरान)	विरान ग्राम
6	6	गिरहुलपाली	गिरहुलपाली	गिरहुलपाली	
				मुंगलीपाली	
				पुरैना	
			सुखापाली	सुखापाली	
				बेंकराभुडा	
7	7	गोबरसिंघा	गोबरसिंघा	गोबरसिंघा	
			मारोदरहा	मारोदरहा	

Bhagat

				केनाभांठा	
				कारीगांठी	
				लंकापाली	
				खोखेपुर	
8	8	डभरा	डभरा	डभरा	
				भंवरपुर	
			आमाकोनी बडे	आमाकोनी बडे	
				आमाकोनी छोटे	
				डडाईडीह	
				जामजोरी	
				भकुर्रा	
9	9	चांटीपाली	चांटीपाली	चांटीपाली	
				कंचनपुर	
				झाबड़	
				पठियापाली	
			सण्डा	सण्डा	
10	10	बार	बार	बार	
				रायपुर(बिरान)	विरान ग्राम
				तोरना(बिरान)	विरान ग्राम
			लोधिया	लोधिया	
				खपरापाली	
11	11	देवगांव	देवगांव	देवगांव	
				नाचनपाली	
12	12	अमेरी	अमेरी	अमेरी	
				पेवरा	
				अमरकोट–अमेरी(विरान)	विरान ग्राम
				पेवरागढ(विरान)	विरान ग्राम
			कोतरा	कोतरा	
				कोसमडीह	
				ऐरीपाली	
				विक्रमपाली	
13	13	बरपाली	बरपाली	बरपाली	
				जामपाली	
			महाराजपुर	महाराजपुर	
14	14	कण्डोला	कण्डोला	कण्डोला	
				रतनपुर(विरान)	विरान ग्राम
				छेवारीपाली	
				बिलाईगढ	
			कान्दुरपाली	कान्दुरपाली	
				पुजेरीपाली	
15	15	पचधार	पचधार	पचधार	
			लिप्ती	लिप्ती	
				चंदागढ(विरान)	विरान ग्राम
				नावापारा छोटे	
				विजयपुर गिरधारी पाट–(रतनपाली)	
16	16	सरिया	सरिया	सरिया	

			नदीगांव	नदीगांव	
				परसरामपुर	
17	17	भठली	भठली	भठली	
			रानीडीह	रानीडीह	
				सुरसी	
				कोर्रा	
				सुरजगढ	
18	18	बोरिदा	बोरिदा	बोरिदा	
				ठेंगागुडी	
			पोरथ	पोरथ	
				जयपुर	
				तोरा	
19	19	सॉकरा	सॉकरा	सॉकरा	
				रामपुर	
				मोहदी	
				रेबो (डूब ग्राम)	
				भरतपुर (विरान एवं डूब ग्राम)	विरान ग्राम
20	20	लुकापारा	लुकापारा	लुकापारा	
				देवगढ(विरान)	विरान ग्राम
			कंचनपुर	कंचनपुर	
				भुलूमुडा	
				राजपुर	
21	21	जलगढ	जलगढ	जलगढ	
				अडभार	
				मानिकपुर छोटे	
			अमुर्रा	अमुर्रा	
				अमलीकोट (विरान)	विरान ग्राम
22	22	बोरे	बोरे	बोरे	
				अमरकोट बोरे(विरान)	विरान ग्राम
				पिकीमाल	
				साल्हेपाली	
			खैरगढी	खैरगढी	
				पण्डरीपानी विरान)	विरान ग्राम
23	23	नवापारा बडे	नावापाराबडे	नावापारा बडे	
				अमलीपाली	
			कर्राकोट	कर्राकोट	
				डूमरसिंघा	
				कसहीपाली	
				केनाभांठा	
24	24	खोरीगांव	खोरीगांव	खोरीगांव	
				सिंघारपुर	
				बसंतपुर (विरान)	विरान ग्राम
			कमरीद	कमरीद	
				बम्हनीपाली	
25	25	बोईरडीह	बोइरडीह	बोइरडीह	
				धूमाभांठा	
				हठीलापाली	

			झनकपुर	झनकपुर	
26	26	बरमकेला	बरमकेला	बरमकेला	
				खरवानी	
				चनामुडा	
				दुलमपुर (विरान)	विरान ग्राम
			बुदेली	बुदेली	
				खिचरी	
27	27	लिंजिर	लिजिर	लिजिर	
				रोहिनापाली	
				तालदेवरी	
			कटंगपाली(ब)	कटंगपाली (ब)	डोंगीपानी वनग्राम
				बघनपुर	
				बारादावन	
				तेरादावन	
28	28	बिलाईगढ(ब)	बिलाईगढ(ब)	बिलाईगढ(ब)	
				कटंगजोरी	
				पिपरखुटा	
			कपरतुगा	कपरतुगा	
				छुहीपाली	
				टीटहीपाली	
29	29	तौसीर	तौसीर	तौसीर	
				घुचापाली	
				देवानपाली	
				केंवरपाली (विरान)	विरान ग्राम
			बैगीनडीह	बैगीनडीह	
				नूनपानी	
				डुडसपाली	
				सावतकुत	
				मेकरा	
30	30	कोहारी	कोहारी	कोहारी	
				सिंधारी	
				मेडरा	
				धुरकोट (विरान)	विरान ग्राम
			बेंगची	बेंगची	
				प्रधानपुर	
				कनकीडीपा	
31	31	हिर्री	हिर्री	हिर्री	
				गोपालपुर	
			सराईपाली	सराईपाली	
				जामछापर	
32	32	रिसोरा	रिसोरा	रिसोरा	
				बैगीनडीह	
				जटियापाली	
				तिलाईदादर(विरान)	विरान ग्राम

			कंठीपाली	कंठीपाली	
				सहजपाली	
				बरमपुरा	
				लक्ष्मणपाली (विरान)	विरान ग्राम
33	33	लेधरा	लेधरा	लेधरा	
			अमोदा	अमोदा	
				जालाकोना	
				मसानकुडा	
34	34	सेमीकोट	सेमीकोट	सेमीकोट	
				पिक्रीपाली	
				चिगरीडीह	
				लामीपाली	
			बहलीडीह	बहलीडीह	
				चारभांठा	
35	35	धनीगांव	धनीगांव	धनीगांव	
				धौरादरहा	
				रंगाडीह	
				पैकिन	
				लिमपाली (विरान)	विरान ग्राम
			सकरतुंगा	सकरतुंगा	
				परसाडीह	
				दानीघाटी	
36	36	करनपाली	करनपाली	करनपाली	
				पडकीपाली	
				कलगाटार	
				पडकीडीपा	
			करपी	करपी	
				परधियापाली	
				कर्रामाल	
				मैहापाली	
				टेकापत्थर	
				बिजामाला	
37	37	हटटापाली	हटटापाली	हटटापाली	
				अमलीपाली	
				छिंदपतेरा	
				मंजूरपाली	
				जगदीशपुर	
			खम्हरिया	खम्हरिया	
				अकबरटोला	
				केरमेली	
				डिंडाडीह(विरान)	विरान ग्राम
				कमलापानी	
38	38	जोगनीपाली	जोगनीपाली	जोगनीपाली	
				कालाखूंटा	
				सराईपाली	
			तरेकेला	तरेकेला	
				छैलभांठा	
				बनहर	

				ढोसरबहाल	
39	39	झिकीपाली	झिकीपाली	झिकीपाली	
				विष्णुपाली	
				पुरैनपाली	
			दुलोपाली	दुलोपाली	
				दमदमा	
				कस्तुरामाल	
40	40	डूमरपाली	डूमरपाली	डूमरपाली	
				साथर	
			घोघरा	घोघरा	
				सोनबला	
				बोहराबहाल	
41	41	डोगरीपाली	डोगरीपाली	डोगरीपाली	
				गिण्डोला	
				लेंधरजोरी	
				मुगियाडिह (विरान)	विरान ग्राम
			कोकबहाल	कोकबहाल	
				आमापाली	
				कदलीसरार	
42	42	झाल	झाल	झाल	
				लीमपाली	
				बनवासपाली	
				सेमरापाली	
			जिरापाली	जिरापाली	
				जामदलखा	
				पतेरापाली	
43	43	बिर्नीपाली	बिर्नीपाली	बिर्नीपाली	
				परधियापाली	
				भालूपानी	
				खैरट	
				सहजबहाल	
				भराली	
			गौरडीह	गौरडीह	
				परसकोल	
				रंगाडिह	
योग		43	84	247	

रामसिंह,
कलेक्टर.

रायगढ़ दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक/618/अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हल्का पुनर्गठन के संबंध में पूर्व प्रकाशित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये मैं ठा. रामसिंह, कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील घरघोड़ा के राजस्व ग्रामों के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूँ. जिसमें वन ग्राम शामिल नहीं होगा.

सूची

क्र0	प0 ह0 न0	पटवारी का निर्धारित मुख्यालय	ग्राम पंचायत	आश्रित ग्राम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	1	कोसमघाट	कोसमघाट	कोसमघाट	
			पुरी	पुरी	
2	2	कुडुमकेला	कुडुमकेला	कुडुमकेला	
				घोघरा (विरान)	विरान ग्राम
			पुसल्दा	पुसल्दा	
3	3	घरघोड़ी	घरघोड़ी	घरघोड़ी	
				मालीडीह	
			बरौनाकुण्डा	बरौनाकुण्डा	
				जरकट	
4	4	फगुरम	फगुरम	फगुरम	
				सराईपाली	
				कारीछापर	
			बंरौद	बंरौद	
				बुलेकेरा	
5	5	कया	कया	कया	
			बटुराकछार	बटुराकछार	
6	6	कमतरा	कमतरा	कमतरा	

				करीकछार	
				सहसपुर	
			चिल्कागुड़ा	चिल्कागुड़ा	
				दनौट	
				डंगबीरा	
7	7	चिमटापानी	चिमटापानी	चिमटापानी	
				बाम्हनपाली	
				कांटाझरिया	
				कुरूजखोला	
			चोटीगुडा	चोटीगुडा	
				अजीजगढ़	
8	8	रायकेरा	रायकेरा	रायकेरा	
			विछीनारा	विछीनारा	
				नयारामपुर	
				तिलाईपाली	
				कुधुरमौहा	
9	9	कोटरीमाल	कोटरीमाल	कोटरीमाल	
				मुस्कुरा	
				साल्हेपाली	
			कोनपारा	कोनपारा	
				कठर्रापाली	
10	10	पोरडा	पोरडा	पोरडा	
			कुर्मीभौना	कुर्मीभौना	
				राई	
				पोरडी	
				बिजारी	
11	11	रूमकेरा	रूमकेरा	रूमकेरा	
				पतरापाली	
			ढोरम	ढोरम	
12	12	टेंरम	टेंरम	टेंरम	
				छिरभौना	

			कचंनपुर	कचंनपुर	
13	13	झरियापाली	झरियापाली	झरिया पाली	
				झाकादरहा	
			चारभाठा	चारभाठा	
				कोगनारा	
14	14	घरघोड़ा	(नगर पंचायत)घरघोड़ा	घरघोड़ा	
				नवापारा	
				कसैया	
15	15	बहिरकेला	बहिरकेला	बहिरकेला	
			नवागढ़	नवागढ़	
				तेन्दुभांठा	
16	16	बडेगुमड़ा	बडेगुमड़ा	बड़ेगुमड़ा	
			छोटेगुमड़ा	छोटेगुमड़ा	
				कटगडीह	
17	17	बैहामुड़ा	बैहामुड़ा	बैहामुड़ा	
				पण्ड्रीपानी	
			भेन्डरा	भेन्डरा	
18	18	नवापारा	नवापारा	नवापारा	
			टेण्डा	टेण्डा	
				डंगनीनारा	
			भेंगारी	भेंगारी	
				खोखरोआमा	
				चारमार	
19	19	डेहरीडीह	डेहरीडीह	डेहरीडीह	
				बिलासखार	
				पाकादरहा	
			बगचबा	बगचबा	
				पानीखेत	
20	20	छर्राटांगर	छर्राटांगर	छर्राटांगर	
				[illegible]ोकरबुडा	सुहाई वन ग्राम
			तुमीडीह	तुमीडीह	

21	21	अमलीडीह	अमलीडीह	अमलीडीह	
			भालूमार	भालूमार	
				छैंडोरिया	
योग	21		41	82	

रामसिंह,

कलेक्टर.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक/618/अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हल्का पुनर्गठन के संबंध में पूर्व प्रकाशित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये मैं ठा. रामसिंह, कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील तमनार के राजस्व ग्रामों के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूँ. जिसमें वन ग्राम शामिल नहीं होगा.

सूची

क्र0	प0ह0नं0	पटवारी का निर्धारित मुख्यालय	ग्राम पंचायत का नाम	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	1	बनाई	बनाई	बनाई	
				चिर्रामुड़ा	
			नूनदरहा	नूनदरहा	
				औराईमुड़ा	
				केराखोल	
2	2	डोलेसरा	डोलेसरा	डोलेसरा	
			चितवाही	चितवाही	
				कोलम	
3	3	बरकसपाली	बरकसपाली	बरकसपाली	
				रेंगालबहरी	
			मौहापाली	मौहापाली	
				पतरापाली	
4	4	जरेकेला	जरेकेला	जरेकेला	
			कचकोबा	कचकोबा	
				नावापारा	
5	5	देवगढ़	देवगढ़	देवगढ़	
			बरपाली	बरपाली	

				ऊँकारीपाली	
6	6	राबो	राबो	राबो	
				आमापाली	
			गदगांव	गदगांव	
				जमडबरी	
				हर्राडीह	
7	7	जिवरी	जिवरी	जिवरी	
				जामचुंवा	
			डारआमा	डारआमा	
				ठरकपुर	
8	8	सराईपाली	सराईपाली	सराईपाली	
				गौरमुड़ी	
			भुईकुर्री	भुईकुर्री	
				बगबुड़ा	
				बरपाली	
9	9	पूंजीपसरा	तराईमाल	तराईमाल	
				गोरखामुड़ा	
				उजलपुर	
				पूंजीपसरा	
			बड़गांव	बड़गांव	
				बरबहली	
				भैंसगढ़ी	
10	10	आमाघाट	आमाघाट	आमाघाट	
				पड़कीपहरी	
				सामारूमा	
			कसडोल	कसडोल	
				कांटाझरिया	
				राटरोट	
				सलिहारी	
11	11	गोढ़ी	गोढ़ी	गोढ़ी	
			बासनपाली	बासनपाली	
12	12	कुंजेमुरा	कुंजेमुरा	कुंजेमुरा	

			सलिहाभांठा	सलिहाभांठा	
				उत्तररेगांव	
				दक्षिणरेगांव	
13	13	पाता	पाता	पाता	
			सराईटोला	सराईटोला	
				मुड़ागांव	
14	14	बजरमुड़ा	बजरमुड़ा	बजरमुड़ा	
				ढोलनारा	
			रोड़ोपाली	रोड़ोपाली	
				भालुमुड़ा	
15	15	गारे	गारे	गारे	
				लमदरहा	
			खम्हरिया	खम्हरिया	
				करवाही	
16	16	उरबा	उरबा	उरबा	
			पेलमा	पेलमा	
				खर्रा	
17	17	लालपुर	लालपुर	लालपुर	
				मड़वाडूमर	
				सक्ता	
				बांजीखोल	
			हिंझर	हिंझर	
				सेमीजोर	
				छिरवानी	
				जरहीडीह	
18	18	मिलूपारा	मिलूपारा	मिलूपारा	
			कोंडकेल	कोंडकेल	
				बालजोर	
19	19	धौंराभांठा	धौंराभाठा	धौंराभांठा	
				टपरंगा	
			जाजगीर	जांजगीर	
				नागरामुड़ा	

20	20	झिकाबहाल	झिकाबहाल	झिकाबहाल	
				बागबाड़ी	
				टिहलीरामपुर	
			सारसमाल	सारसमाल	
				कोसमपाली	
				डोंगामहुआ	
21	21	तमनार	तमनार	तमनार	
22	22	महलोई	महलोई	महलोई	
			बुड़िया	बुड़िया	
23	23	पड़िगांव	पड़िगांव	पड़िगांव	
			देवगांव	देवगांव	
24	24	जोबरो	जोबरो	जोबरो	
				पाली	
				केनानीबहाल	
				करमागढ़	
			गोरबहरी	गौरबहरी	
				अमलीढोढ़ा	
25	25	समकेरा	समकेरा	समकेरा	
				रायपारा	
			खुरुसलेंगा	खुरुसलेंगा	
26	26	लिबरा	लिबरा	लिबरा	
			झरना	झरना	
27	27	आमगांव	आमगांव	आमगांव	
			टांगरघाट	टांगरघाट	
				तिलाईपारा	
28	28	बिजना	बिजना	बिजना	
			केसरचुंवा	केंसरचुंवा	
				औराजोर	
				कर्रापाली	
				जामपाली (विरानग्राम)	विरान ग्राम
29	29	हमीरपुर	हमीरपुर	हमीरपुर	
			भगोरा	भगोरा	

				चंकाबहाल	
				बरकछार	
				कुसमेल	
योग	29	29	57	117	

रामसिंह,
कलेक्टर.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक/618/अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हल्का पुनर्गठन के संबंध में पूर्व प्रकाशित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये मैं ठा. रामसिंह, कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील लैलूंगा के राजस्व ग्रामों के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूँ. जिसमें वन ग्राम शामिल नहीं होगा.

सूची

क्र0	प0ह0नं0	पटवारी का निर्धारित मुख्यालय	ग्राम पंचायत का नाम	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	1	बगुडेगा	बगुडेगा	बगुडेगा	
			भेड़ीमुड़ा (अ)	भेड़ीमुड़ा (अ)	
				रामपुर	
2	2	चोरगा	चोरगा	चोरगा	
				बैगीनझरिया	
			राजगांव	राजगांव	
				सराईमुड़ा	
3	3	राजपुर	राजपुर	राजपुर	
			कुर्रा	कुर्रा	
4	4	कोड़ासिया	कोड़ासिया	कोड़ासिया	
			ढाप	ढाप	
				हीरापुर	भवानीपुर(वनग्राम)
5	5	मुड़ागांव	मुड़ागांव	मुड़ागांव	
			तारागढ़	तारागढ़	
6	6	बहामा	बहामा	बहामा	
			गुडुबहाल	गुडुबहाल	
				टेटकाआमा	
7	7	घटगांव	घटगांव	घटगांव	
				ईश्वरपुर	

			रूपडेगा	रूपडेगा	
8	8	बांसडांड़	बांसडांड़	बांसडांड़	
				सरडेगा	
			गहनाझरिया	गहनाझरिया	
9	9	पोतरा	पोतरा	पोतरा	
			खड़आमा	खड़आमा	
10	10	रुडूकेला	रुडूकेला	रुडूकेला	
				केन्दाटिकरा	
			कूपाकानी	कूपाकानी	
				माझीआमा	
11	11	खम्हार	खम्हार	खम्हार	
			जामबहार	जामबहार	
				भेलवांटोली	
12	12	लैलुंगा	लैलुंगा	लैलुंगा	
			झरन	झरन	
				पहाड़लुड़ेग	
13	13	सलखिया	सलखिया	सलखिया	
			घियारमुड़ा	घियारमुड़ा	
				बुड़रा राताखण्ड	
14	14	मोहनपुर	मोहनपुर	मोहनपुर	
				सोहनपुर	
			आमापाली	आमापाली	राजाआमा(वनग्राम)
15	15	लारीपानी	लारीपानी	लारीपानी	
				सागरपाली	
			फुलीकुण्डा	फुलीकुण्डा	
				फुटहामुड़ा	
16	16	दियागढ़	दियागढ़	दियागढ़	
				चिंगारी	
				केनापारा	
			गंजपुर	गंजपुर	
				अरटांगर	
				भ[illegible]याकछार	
17	17	तोलगे	तोलगे	तोलगे	
				एक	

			3	पिपराही(विरान)	विरान ग्राम
				हरदीझरिया	
			बरडीह	बरडीह	
				पोटेबिरनी	
18	18	भकुर्रा	भकुर्रा	भकुर्रा	
				मुसकटी	
				गहिरा	
			गुनू	गुनू	
19	19	झगरपुर	झगरपुर	झगरपुर	
			केराबहार	केराबहार	
				बनेकेला	
				तिलाईदरहा	
20	20	कुंजारा	कुंजारा	कुंजारा	
			रेगड़ी	रेगड़ी	
				गोसाईडीह	
				अंगेकेला	
21	21	खार	खार	खार	
				गोढ़ी	
			भेड़ीमुड़ा ब	भेड़ीमुड़ा ब	
				सारसमाल	
22	22	केशला	केशला	केशला	
				खैरबहार	
				मेंढरमाल	
			टटकेला	टटकेला	
				नहरकेला	
23	23	सुबरा	सुबरा	सुबरा	
			कोंड़केल	कोंड़केल	
				पिपराही	
24	24	कटकलिया	कटकलिया	कटकलिया	
				चिटकीबहार(विरान)	विरान ग्राम
			जतरा	जतरा	
25	25	पाकरगांव	पाकरगांव	पाकरगांव	
		गमेकेला	गमेकेला	गमेकेला	
26	26	बिरसिंघा	बिरसिंघा	बिरसिंघा	

			ढोरोंबीउा	ढोरोंबीजा	
				कंझारी	
27	27	झारआमा	झारआमा	झारआमा	
				लोहड़ापानी	माड़ो(बसाहत ग्राम)
			करवारजोर	करवारजोर	
28	28	सोनाजोरी	सोनाजोरी	सोनाजोरी	
			चिराईखार	चिराईखार	
				कुरोपहरी	
29	29	मुकडेगा	मुकडेगा	मुकडेगा	
			बैसकीमुड़ा	बैसकीमुड़ा	
30	30	कमरगा	कमरगा	कमरगा	
			भुईयांपानी	भुईयांपानी	
				छातासराई	
31	31	गेरूपानी	गेरूपानी	गेरूपानी	
				केकराझरिया	
			लमडांड	लमडांड	
				कहरचुंवा	
32	32	लिबरा	लिबरा	लिबरा	
				होरोंगुड़ा	
			नारायनपुर	नारायनपुर	
				पोकडेगा	
				कोड़ामाई	
33	33	टुरटुरा	टुरटुरा	टुरटुरा	
				सरमडेगा	
			बसंतपुर	बसंतपुर	
				जमुना	
34	34	तोलमा	तोलमा	तोलमा	
			चंवरपुर	चंवरपुर	
				सियारधार	
35	35	किलकिला	किलकिला	किलकिला	
			धौंराडाड	धौंराडाड	

				कारांडेगा	नावागांव(बसाहट ग्राम)
योग	35	35	70	119	2वनग्राम 2बसाहटग्राम

रामसिंह,
कलेक्टर.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक/618/अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हल्का पुनर्गठन के संबंध में पूर्व प्रकाशित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये मैं ठा. रामसिंह, कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील धरमजयगढ़ के राजस्व ग्रामों के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूँ. जिसमें वन ग्राम शामिल नहीं होगा.

सूची

क्र0	प0ह0नं0	पटवारी का निर्धारित मुख्यालय	ग्राम पंचायत का नाम	आश्रित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	1	क्रिन्धा	क्रिन्धा	क्रिन्धा	
				जलडेगा	
			रूवाफूल	रूवाफूल	
				बताती	
2	2	चाल्हा	चाल्हा	चाल्हा	
			कमोसीनडांड़	रामपुर	कमोसीनडांड़(घोंचल का मुहल्ला)
3	3	कूमा	कूमा	कूमा	
				इंचपारा	
			पारेमेर	पारेमेर	
				कनचीरा	
				डगभौना	
4	4	जमरगा	जमरगा	जमरगा	
			पेलमा	पेलमा	
5	5	भोजपुर	भोजपुर	भोजपुर	
				घोंचल	
			बकालो	बकालो	

			2	सरिया	
6	6	खम्हार	खम्हार	खम्हार	
			पुटूकछार	पुटूकछार	
				टिर्रीआमा	
7	7	जमरगीडीह	जमरगीडीह	जमरगीडीह	
				चुनचुनीडांड़	
				रजिदा	
			नकना	नकना	
				लक्ष्मीनगर	
8	8	बोरो	बोरो	बोरो	
				संगरा	
			नेवार	नेवार	
				पोरिया	
				सिरकी	
9	9	अमलीटिकरा	अमलीटिकरा	अमलीटिकरा	
			जबगा	जबगा	
				बलपेदा	
10	10	मिरीगुड़ा	मिरीगुड़ा	मिरीगुड़ा	
			लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	
				गवरघुटरी	
				सेमीपालीखुर्द	
11	11	किरीया	किरीया	किरीया	
			गनपतपुर	गनपतपुर	
12	12	रायमेर	रायमेर	रायमेर	
				पचपेड़ी	विरान ग्राम
			कपियाभौना	कपियाभौना	
				डूमरनारा	
13	13	कमरई	कमरई	कमरई	
			सुपकालो	सुपकालो	
				जगालमौहा	
14	14	सोनपुर	सोनपुर	सोनपुर	
			पखनाकोट	पखनाकोट	

15	15	बंधनपुर	बंधनपुर	बंधनपुर	
				समनिया	
			टोनहीनारा	टोनहीनारा	
				ठाकुरनगर जोबी	
16	16	रतनपुर	रतनपुर	रतनपुर	
			कदमढोढ़ी	कदमढोढ़ी	
17	17	कुम्हीचुंवा	कुम्हीचुंवा	कुम्हीचुंवा	
				रनपुर	
			बैरागी	बैरागी	
				परसा	
				बांझीआमा	
18	18	कुमरता	कुमरता	कुमरता	पुसाउडेरा वनग्राम
			गिधकालो	गिधकालो	
				सलखेता	
19	19	पत्थलगांव खुर्द	पत्थलगांव खुर्द	पत्थलगांव खुर्द	
				गोसाईपोड़ी	
				धनपुरी	
			सलका	सलका	दाहीडांड़ वनग्राम
20	20	विजयनगर	विजयनगर	विजयनगर	टेड़ासेमर
					विजयनगर का मुहल्ला
21	21	कापू	कापू	कापू	
			अलोला	अलोला	
				इंदकालो	
				सकालो	
22	22	लिप्ती	लिप्ती	लिप्ती	
				गोलाबुड़ा	
			तालगांव	तालगांव	
				गोड़ीखुर्द	
23	23	बालकपोड़ी	बालकपोड़ी	बालकपोड़ी	
			ठाकुरपोड़ी	ठाकुरपोड़ी	
24	24	ससकोबा	ससकोबा	ससकोबा	
			पाराघाटी	पाराघाटी	

25	25	बाकारूमा	बाकारूमा	बाकारूमा	
			चरखापारा	चरखापारा	
26	26	रैरूमाखुर्द	रैरूमाखुर्द	रैरूमाखुर्द	
			धौंराभांठा	धौंराभांठा	
27	27	कटाईपाली डी	कटाईपाली डी	कटाईपाली डी	
				सकरलिया	
				मैनीपुर	
			राजकोट	राजकोट	
				मदनपुर	
				सुपकोना	
				अमलझरिया	
				डिड़वानारा	
28	28	जमाबीरा	जमाबीरा	जमाबीरा	
			सोखामुड़ा	सोखामुड़ा	
29	29	तेजपुर	सोहनपुर	तेजपुर	
				सोहनपुर	
				सजवारी	
			ढोढ़ागांव	ढोढ़ागांव	
30	30	साजापाली	साजापाली	साजापाली	धरमपुर वनग्राम
				चुल्हाखोल	आमानारा वनग्राम
			चिड़ोडीह	चिड़ोडीह	
				भालूपखना	
31	31	सिसरिंगा	सिसरिंगा	सिसरिंगा	गणेशपुर वनग्राम
			ओंगना	ओंगना	
				भंडारीमुड़ा	
32	32	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़ नगरपंचायत	धरमजयगढ़ नगरपंचायत	
			दर्रीडीह	दर्रीडीह	
				[illegible]	लामबहरी दर्रीडीह का मुहल्ला
33	33	शाहपुर	शाहपुर	शाहपुर	
				तराईमार	
			दुर्गापुर	दुर्गापुर	
				धरमजयगढ़ कालोनी	

34	34	उदउदा	उदउदा	उदउदा	
			रूपूंगा	रूपूंगा	
				फत्तेपुर	
35	35	नरकालो	नरकालो	नरकालो	
			कोईलार	कोईलार	
36	36	बायसी	बायसी	बायसी	
			बायसी कालोनी	बायसी कालोनी	
				मेंढरमाल	
37	37	आमापाली	आमापाली	आमापाली	
				आमगांव	
			पोटिया	पोटिया	
				कानाकुला	
				बागडाही	
				सागरपुर	
					हिम्मतपुर मुहल्ला पोटिया का
38	38	गेरसा	गेरसा	गेरसा	
			नागदरहा	नागदरहा	
				पण्डरीपानी	
				सिंवार	
				छेरचुची	
39	39	नवागांव	नवागांव	नवागांव	
			बरतापाली	बरतापाली	
40	40	कोंधा	कोंधा	कोंधा	
			सेमीपाली	सेमीपाली	
				चैनपुर	
41	41	खड़गांव	खड़गांव	खड़गांव	
			सिथरा	सिथरा	
42	42	हाटी	हाटी	हाटी	
			जोबड़ा	जोबड़ा	
43	43	पुरुंगा	पुरुंगा	पुरुंगा	
				तेंदुमुड़ी	
				कोकदार	

			साम्हरसिंधा	साम्हरसिंधा	
				गेरवानी	
44	44	बांसाझार	बांसाझार	बांसाझार	
				खर्रा	
				गलीमार	
			किदा	किदा	
				जामपाली	
45	45	मुनुंद	मुनुंद	मुनुंद	
				बरबसपुर	
			बेहरामार	बेहरामार	
46	46	महराजगंज	महराजगंज	महराजगंज	
			धसकामुड़ा	धसकामुड़ा	
				भुंडीबहरी	
47	47	कुड़ेकेला	कुड़ेकेला	कुड़ेकेला	
			बंगरसुता	बंगरसुता	
				पोड़ीछाल	
48	48	तरेकेला	तरेकेला	तरेकेला	
				चुहकीमार	
			बनहर	बनहर	
				भलमुड़ी	
				गंजाईपाली	
49	49	छाल	छाल	छाल	
				कांसाबहार	
			बोकरामुड़ा	बोकरामुड़ा	
				रीलो	
50	50	खेदापाली	खेदापाली	खेदापाली	
				बांधापाली	
			लात	लात	
51	51	नावापारा	नावापारा	नावापारा	
				गड़ईनबहरी	
				औरानारा	
			बोजिया	बोजिया	

				चितापाली	
52	52	कटाईपाली सी	कटाईपाली सी	कटाईपाली सी	
				लोटान	
			देउरमार	देउरमार	
				डोंगाभौना	
				सिंघीझाप	
				लामीखार	
53	53	चंद्रशेखरपुर	चंद्रशेखरपुर	चंद्रशेखरपुर	
			पुसल्दा	पुसल्दा	
			बेहरामुड़ा	बेहरामुड़ा	
				एड्डुकला	
योग	53	53	105	184	

रामसिंह,
कलेक्टर.